अध्याय

3 उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

यह अध्याय उच्च शिक्षा प्रणाली से अपेक्षित परिणामों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करता है। उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्रदान करने में उच्च शिक्षण संस्थानों और उत्तर प्रदेश शासन की क्षमता का आकलन करने के लिए, निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्य तैयार किए गए थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: क्या प्रभावी शिक्षण, अभ्यास, परीक्षा प्रक्रियाओं और उच्च गुणवत्ता वाले शोध के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा सुनिश्चित की गई थी?

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3: क्या उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये रोजगारपरक क्षमता और विकास था?

अध्याय का संक्षिप्त विवरण

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई थी कि पाठ्यक्रम को हर तीन साल में कम से कम एक बार संशोधित किया जाए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, 2014–20 की अवधि में नमूना जाँच किए गए विभागों के केवल 31 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में क्रमशः केवल 21 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कार्यक्रम रोजगारपरकता/उद्यमिता/कौशल विकास पर केंद्रित थे।
- वर्ष 2019–20 की अवधि में राज्य के सरकारी महाविद्यालयों का छात्र शिक्षक अनुपात 20:1 के निर्धारित अनुपात के सापेक्ष 49:1 था। वर्ष 2019–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 54:1, 52:1 और 53:1 था। इसी अवधि में कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग में लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 18:1, 39:1, 12:1 था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच किए गए सरकारी महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग का छात्र शिक्षक अनुपात बहुत अधिक 151:1, 174:1, 306:1 था और लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में क्रमशः 58:1, 63:1, 18:1 था।
- महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में औसतन केवल 19 प्रतिशत शिक्षक और 16 प्रतिशत शिक्षक लखनऊ विश्वविद्यालय में व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में शामिल हुए। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में क्रमशः पाँच प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत शिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।
- वर्ष 2014–20 की अवधि में परीक्षा परिणामों की घोषणा में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 273 दिनों तक (2018–19 को छोड़कर) और लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2017–20 की अवधि में 175 दिनों तक का विलम्ब रहा।
- महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध परियोजनाओं को 1,463 दिनों तक के विलम्ब से पूरा किया गया। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में दिये गये पेटेंट और प्रदान किये गये परामर्श की संख्या शून्य थी।
- वर्ष 2016–20 की अवधि में आयोजित रोजगार मेलों में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में क्रमशः 781 और 2,692 छात्रों को रोजगार प्रदान किया गया। तथापि, वर्ष 2014–20 की अवधि में किसी अन्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले या उसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से सम्बन्धित सूचनाओं का रखरखाव नहीं किया गया था।

3.1 परिचय

यदि उच्च शिक्षा प्रणाली अपनी शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं के साथ–साथ शोध क्षमताओं के मामले में उच्च गुणवत्ता की हो तो उच्च शिक्षा से समाज की अपेक्षाओं को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (प्रस्तर 21.184) ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर अत्यधिक बल दिया। इसमें उल्लिखित है कि इस क्षेत्र में गुणवत्ता के गंभीर मुद्दों को देखते हुए, विस्तार जैसे अन्य प्रयास भारत के भविष्य के लिए प्रतिकूल सिद्ध होंगे। सामान्य उच्च शिक्षा (अर्थात कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग) के महत्व के विषय में, बारहवीं पंचवर्षीय योजना (प्रस्तर 21.244) में कहा गया है कि, यदि सामान्य शिक्षा को ठीक से प्रदान किया जाए तो ज्ञान आधारित करियर के लिए यह एक मजबूत आधार हो सकती है। इसलिए, सामान्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों में रोजगारपरक क्षमता या उच्च शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न कारक योगदान करते हैं। संबंधित परिणामों और योगदान करने वाले कारकों के साथ उनके संबंध को नीचे दी गयी प्रस्तुति से समझा जा सकता है:

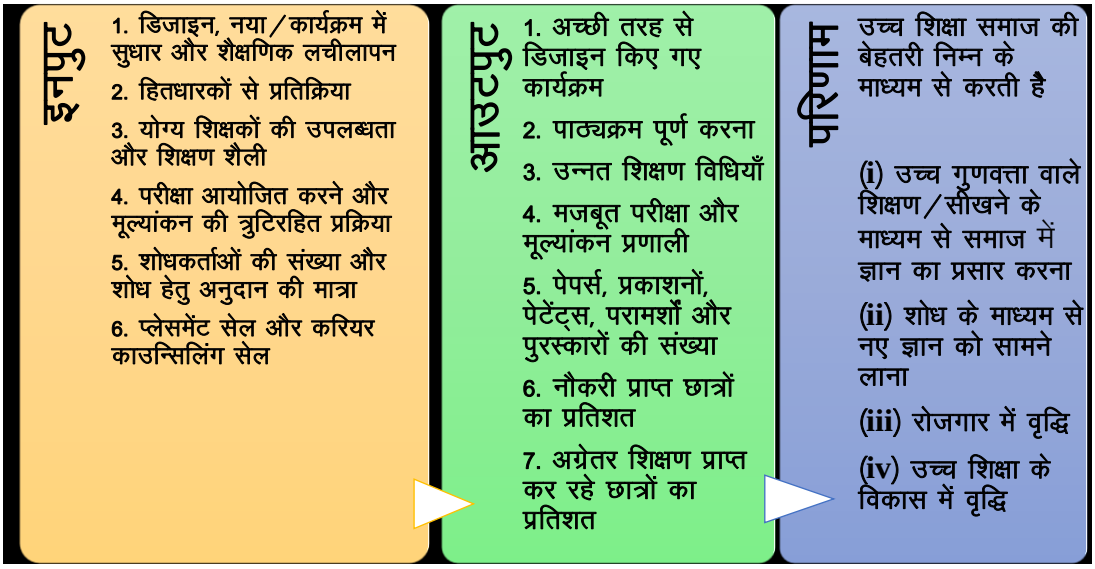

3.2 प्रभावी अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान करना

इस खण्ड में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पहलुओं पर चर्चा की गई है। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और उनके नमूना जाँच किये गए सम्बद्ध शासकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और स्व–वित्तपोषित निजी महाविद्यालयों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3.2.1 पाठ्यक्रम डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन

पाठ्यक्रम के पहलू किसी भी शैक्षणिक संस्थान का मुख्य आधार हैं। इनमें पाठ्यक्रम डिजाइन, विकास, संवर्धन, योजना और कार्यान्वयन शामिल हैं। पर्याप्त लचीलेपन को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम की सकारात्मक विशेषता के रूप में भी माना जाता है। पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास हितधारकों से फीडबैक के आधार पर विशेषज्ञ समूहों के परामर्श से उपयुक्त आवश्यकता–आधारित इनपुट विकसित करने की एक जटिल प्रक्रिया है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों की व्यावसायिक और व्यक्तिगत

आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलेपन के साथ प्रासंगिक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों[1] का विकास होता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जारी उच्च शिक्षा में समावेशी और गुणात्मक विस्तार पर रिपोर्ट के प्रस्तर 4.3 में परिकल्पित है कि पाठ्यक्रम को हर तीन साल में कम से कम एक बार संशोधित किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध किया (जनवरी 2017) कि कौशल सेट की मौजूदा और संभावित माँग एवं आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक तीन साल में कम से कम एक बार विश्वविद्यालयों में सभी शैक्षणिक विभागों के पाठ्यक्रमों की समीक्षा और संशोधन करें जिससे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्रों को रोजगार योग्य बनाया जा सके।

किसी विश्वविद्यालय को विशेष कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम की कल्पना करने, उन्हें समय–समय पर संशोधित/अद्यतन करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि इसके कार्यक्रमों के परिणाम इसकी परिषदों/निकायों द्वारा परिभाषित किये गए हैं। दूसरी ओर, एक संबद्ध महाविद्यालय अनिवार्य रूप से एक शैक्षणिक इकाई है जो पाठ्यक्रम को संचालित करती है और अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को वैध बनाने के लिए काफी हद तक एक विश्वविद्यालय पर निर्भर करती है। उन कार्यक्रमों का प्रतिशत जिनमें वर्ष 2014–20 की अवधि में पाठ्यक्रम संशोधन किया गया था, लेखापरीक्षा में मुख्य परिणाम संकेतक के रूप में मूल्यांकन किया गया ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रमांक 3)***।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने आठ नमूना जाँच किए गए विभागों[2] में पढ़ाये जा रहे 13 स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में से चार (31 प्रतिशत) के पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम को संशोधित किया और लखनऊ विश्वविद्यालय ने 10 नमूना जाँच किए गए विभागों[3] में लागू 20 स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में से 17 (85 प्रतिशत) को संशोधित किया।

दो नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास के सम्बन्ध में प्रदान की गई सूचना के परीक्षण में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- ***पाठ्यक्रम के विषयवस्तु को संशोधित करने हेतु हितधारकों की प्रतिक्रिया***

नमूना जाँच हेतु चयनित विभागों के स्तर पर इस पहलू की जाँच की गई थी। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में, उपरोक्त वर्णित चार पाठ्यक्रमों के अद्यतन/संशोधन की प्रक्रिया की अवधि में छात्रों और उद्यमियों की प्रतिक्रिया नहीं ली गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में दस चयनित विभागों में से संस्कृत विभाग को छोड़कर अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों ने कहा कि पाठ्यक्रम में संशोधन से पहले छात्रों, शिक्षकों और विजिटिंग विशेषज्ञों से फीडबैक प्राप्त किया गया था, लेकिन विभागों द्वारा प्रलेखन की कमी ने ऐसी प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लेखापरीक्षा के प्रयास को सीमित कर दिया।

- ***प्रमुख विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का संदर्भन***

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने पाठ्यक्रम में संशोधन की प्रक्रिया में बाह्य विशेषज्ञों को शामिल किया। हालांकि उन्होंने बहुत सीमित संख्या में पाठयक्रमों को संशोधित किया जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जाँच किए गए दस विभागों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के

[1] राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के अनुसार कार्यक्रम, एक से चार साल की अवधि में औपचारिक तरीके से छात्रों को दिए जाने वाले सीखने के अनुभवों की एक श्रृंखला है जो प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री की ओर ले जाती है।

[2] वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, भौतिकी और सामाजिक कार्य।

[3] अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व, संस्कृत, वाणिज्य, व्यावहारिक अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान।

कार्यवृत्त की जाँच में पाया गया कि अध्ययन के उसी क्षेत्र में अग्रणी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का संदर्भ ग्रहण करते हुए पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

इस प्रकार, पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास की प्रक्रिया के सम्बन्ध में, यद्यपि नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों ने निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने का दावा किया था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त थे कि हितधारकों से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया, विशेषज्ञ समूहों से इनपुट और प्रमुख विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ को पाठ्यक्रम में सुधार के लिए उपयोग किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए, राज्य में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के बाद शैक्षणिक सत्र 2021–22 से च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है। समापन बैठक (15 जुलाई 2022) में शासन ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 ने विभाग को पाठ्यक्रमों को संशोधित करने और पुनः परिकल्पित करने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2020 में 74 विषयों के न्यूनतम सामान पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 258 शिक्षाविदों को शामिल करके और 360 वर्चुअल मीटिंग आयोजित करके व्यवस्थित रूप से कार्य शुरू किया। पाठ्यक्रम को पब्लिक डोमेन में अपलोड किया गया था और अभिभावकों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई थी।

3.2.2 रोजगारपरकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद अपनी मान्यता और मूल्याँकन प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम के डिजाइन में रोजगारपरकता, उद्यमिता और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

पाठ्यक्रम में रोजगारपरकता पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए, वर्ष 2014–20 की अवधि में रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने वाले पाठ्यक्रमों के औसत प्रतिशत को मूल्याँकन के लिए मुख्य परिणाम संकेतक (***परिशिष्ट 1.1 का क्रमांक 4***) माना गया था। यह संकेतक उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक से लिया गया है।

रोजगारपरकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों की संख्या की स्थिति नीचे तालिका 3.1 में दर्शाई गई है:

तालिका 3.1: रोजगारपरकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या और प्रतिशत

विश्वविद्यालय का नाम	समस्त कार्यक्रमों में पाठ्यक्रमों की संख्या						रोजगारपरकता आदि पर ध्यान देने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या।						प्रतिशतता						
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	Average
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	57	58	61	61	56	61	12	12	12	12	12	12	21	21	20	20	21	20	21
लखनऊ विश्वविद्यालय[4]	20	20	20	20	20	20	2	2	2	2	2	2	10	10	10	10	10	10	10

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार)

उपरोक्त **तालिका 3.1** से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ

[4] केवल नमूना जाँच किये गये विभाग।

और लखनऊ विश्वविद्यालय में रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों का औसत प्रतिशत क्रमशः 21 प्रतिशत और 10 प्रतिशत था।

लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना–जाँच किए गए दो शासकीय महाविद्यालयों और दो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से, रोजगारपरकता, उद्यमिता और कौशल विकास (व्यावसायिक पाठ्यक्रम) पर केंद्रित पाठ्यक्रम[5] केवल एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय (करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कालेज, लखनऊ) में वर्ष 2019–20 की अवधि में प्रदान किया गया था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छः नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय में रोजगारपरकता पर केन्द्रित पाठ्यक्रम लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2022) कि विश्वविद्यालय ने अब स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कार्यक्रमों के सभी पाठ्यक्रम तैयार किए हैं ताकि रोजगार/उद्यमिता/कौशल विकास पर अधिकतम जोर दिया जा सके।

3.2.3 मूल्य–वर्धित पाठ्यक्रमों और नामांकित छात्रों की संख्या

मूल्य–वर्धित पाठ्यक्रम और गतिविधियाँ वे हैं जो भले ही किसी के अध्ययन के तरीके से सीधे तौर पर जुड़ी न हों, किन्तु लिंग, पर्यावरण और वहनीयता, मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता जैसे उलझे हुए मामलों पर छात्रों को संवेदनशील बनाने में योगदान करती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के अनुसार, मूल्य–वर्धित पाठ्यक्रम वैकल्पिक हैं और पाठ्यक्रम से इतर प्रस्तुत किए जाते हैं जो मूल्यवर्धन करते हैं और छात्रों को प्लेसमेंट प्राप्त करने में मदद करते हैं।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों द्वारा मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने में किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए वर्ष 2014–20 की अवधि में हस्तांतरणीय और जीवन कौशल प्रदान करने वाले मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों की संख्या को एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया गया था (***परिशिष्ट 1.2 का क्रम संख्या 3***)। यह संकेतक उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और इसके नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों और लखनऊ विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों ने कोई मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं किया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 10 नमूना जाँच किए गए विभागों में वर्ष 2021 में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करते समय 13 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (65 प्रतिशत) में कुछ मूल्यवर्धित पेपर और शेष एक स्नातकोत्तर कोर्स (दर्शनशास्त्र) में वैकल्पिक पेपर शामिल किया, जहाँ इसने च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागू किया। इस प्रकार, इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ का परिणाम प्रदर्शन शून्य था और लखनऊ विश्वविद्यालय का लगभग 70 प्रतिशत था।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के सभी स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में क्रेडिट और गैर–क्रेडिट मूल्यवर्धित कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

[5] (i) प्रोफेसर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ''डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग करते हुए सामाजिक नवाचारों का विकास'' विषयक ग्रीष्मकालीन स्कूल कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य छात्रों के संचार और प्रस्तुति कौशल, आलोचनात्मक सोच और नेतृत्व कौशल को विकसित करना है, (ii) उर्दू भाषा के प्रचार के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीपीयूएल) जो एक साल का डिप्लोमा कोर्स है, (iii) सीसीसी, (iv) बेसिक कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम, (v) शॉर्ट टर्म फैशन डिजाइनिंग कोर्स।

3.2.4 फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप करने वाले छात्र

इंटर्नशिप निर्दिष्ट गतिविधियाँ हैं जिसमें कुछ क्रेडिट्स सम्मिलित होती है[6] और जिसमें एक चिन्हित संरक्षक के मार्गदर्शन में एक संगठन में काम करना शामिल है। फील्ड प्रोजेक्ट्स जो छात्रों को करना होता है, उनमें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के बाहर सर्वेक्षण करना और निर्दिष्ट समुदायों या प्राकृतिक स्थानों से आँकड़े एकत्र करना शामिल है।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में फील्ड प्रोजेक्ट्स/इंटर्नशिप करने वाले छात्रों का आकलन करने के लिए वर्ष 2019–20 की अवधि में फील्ड प्रोजेक्ट्स/इंटर्नशिप करने वाले छात्रों के प्रतिशत को संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया गया था (***परिशिष्ट 1.2 की क्रम संख्या 4***)। यह संकेतक उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच किए गए आठ विभागों द्वारा प्रस्तावित 13 पाठ्यक्रमों में से एक (सामाजिक कार्य में मास्टर) में इंटर्नशिप गतिविधियाँ की गईं, जिसमें सभी छात्रों (54 छात्रों) ने वर्ष 2019–20 की अवधि में भाग लिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के 10 चयनित विभागों में, 20 पाठ्यक्रमों में से केवल तीन[7] में इंटर्नशिप की गई, जिसमें 74 से 100 प्रतिशत छात्रों (औसत 84 प्रतिशत) ने वर्ष 2019–20 की अवधि में भाग लिया। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में फील्ड प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप का विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2019-20 की अवधि में इंटर्नशिप में भाग लेने वाले छात्र

विश्वविद्यालय का नाम	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम में कुल छात्रों की संख्या	सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या		
			फील्ड प्रोजेक्ट (प्रतिशत)	इन्टर्नशिप (प्रतिशत)	योग (प्रतिशत)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	सामाजिक कार्य में मास्टर	54	54 (100)	54 (100)	100
योग		**54**	**54 (100)**	**54 (100)**	**100**
लखनऊ विश्वविद्यालय	एमएससी माइक्रोबायोलॉजी	35	0	26 (74)	26 (74)
	एमएससी फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री	31	0	31 (100)	31 (100)
	एमएससी पर्यावरण विज्ञान (केवल वर्ष 2019–20 की अवधि में)	21	0	16 (76)	16 (76)
योग		**87**	**0**	**73 (84)**	**73 (84)**

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में नमूना–जाँच किए गए आठ विभागों में शेष 12 (92 प्रतिशत) पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप/फील्ड प्रोजेक्ट सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जाँच किए गए 10 विभागों में, शेष 17 (85 प्रतिशत) पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप प्रदान नहीं की गई थी।

[6] क्रेडिट सिस्टम किसी शैक्षिक कार्यक्रम को वर्णित करने का एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें इसके घटकों के साथ क्रेडिट संलग्न किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक क्रेडिट को एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह एक घंटे की एक सिद्धांत अवधि, एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह एक घंटे की एक ट्यूटोरियल अवधि और एक सेमेस्टर में प्रति सप्ताह दो घंटे की एक व्यावहारिक अवधि के रूप में परिभाषित करता है।

[7] एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी पर्यावरण विज्ञान (वनस्पति विज्ञान विभाग) और एमएससी फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान विभाग)।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छह नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में से केवल एक[8] ने वर्ष 2014–19 की अवधि में छात्रों को इंटर्नशिप/फील्ड प्रोजेक्ट्स की सुविधा प्रदान की थी लेकिन इसे वर्ष 2019–20 में जारी नहीं रखा गया था। इसके अलावा, लखनऊ विश्वविद्यालय के चार नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में से एक[9] ने छात्रों को इंटर्नशिप/फील्ड प्रोजेक्ट्स करने में मदद की, जिसमें 206 छात्र नामांकित थे और 110 छात्रों (53 प्रतिशत) ने वर्ष 2017–20 की अवधि में इंटर्नशिप पूरी की।

इस प्रकार, छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल को विभिन्न सेटिंग्स में लागू करने और इंटर्नशिप/फील्ड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पेशेवर स्वभाव और नैतिकता को विकसित करने में सक्षम बनाने का उद्देश्य महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध महाविद्यालयों में केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2022) कि विश्वविद्यालय ने स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप शुरू की है जो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। तथापि, लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.2.5 शैक्षणिक लचीलापन

शैक्षणिक लचीलापन, प्रस्तावित पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के चयन में, छात्रों को दिये गये विकल्पों को दर्शाता है। यह पाठ्यक्रम चयन द्वारा, कार्यक्रमों की समय–सीमा, क्षैतिज गतिशीलता, अंतर–अनुशासनात्मक विकल्पों एवं अन्य के उपयोग में स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से शैक्षणिक लचीलेपन को शामिल किया जा सकता है। इसमें नये और प्रासंगिक कार्यक्रमों की पेशकश, क्रेडिट बेस्ड च्वाईस सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम आदि का प्रारंभ किया जाना सम्मिलित है।

कार्यक्रमों में नये पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ के माध्यम से शैक्षणिक लचीलापन प्रदान करने में नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये प्रयासों का आकलन करने के लिये रोजगारपरकता पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ वर्ष 2014–20 के मध्य उपलब्ध सभी कार्यक्रमों में से नये प्रारंभ किये गये पाठ्यक्रमों का प्रतिशत परिणाम संकेतक के रूप में माना गया।

3.2.5.1 नये पाठ्यक्रमों का आरम्भ किया जाना

नये पाठ्यक्रमों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये वर्ष 2014–20 की अवधि में उपलब्ध पाठ्यक्रमों की कुल संख्या में से आरम्भ किये गये नये पाठ्यक्रमों के प्रतिशत को प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के रूप में लिया गया ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रम. सं. 06)***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने वर्ष 2014–20 की अवधि में इसके द्वारा उपलब्ध कराये गये, 61 कार्यक्रमों में से 10 नये पाठ्यक्रम[10] (16 प्रतिशत) प्रारंभ किये। हालाँकि, नये शुरू किये गये कार्यक्रमों में से कोई भी रोजगारोन्मुखी नहीं था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 2014–20 की अवधि में पेश किये गये 82 पाठ्यक्रमों में से 2018–19 में एक नया पाठ्यक्रम (एमएससी बायो–टेक्नोलॉजी) शुरू किया।

[8] श्री अग्रसेन कन्या पीजी कालेज, वाराणसी।
[9] करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कालेज, लखनऊ (अशासकीय सहायता प्राप्त कालेज)
[10] 2015–16: एम.ए./एम.एस.सी. (भूगोल शास्त्र), 2016–17: एम. फिल (अर्थशास्त्र), रशियन एडवांस डिप्लोमा एवं रशियन डिप्लोमा, 2018–19: वेलनेस के लिए योग में सर्टिफिकेट कोर्स, 2019–20: एम.ए. एम.एस.सी. (गणित), एम.ए./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) खाद्य, एम.ए/एम.एस.सी. (वनस्पति विज्ञान), एम. फिल– मनोविज्ञान, एम. फिल राजनीति विज्ञान।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में नमूना–जाँच किये गये महाविद्यालयों में राजकीय पीजी कॉलेज, ओबरा एवं श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी ने वर्ष 2019–20 में क्रमशः एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और दो नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किये। लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति थी। लेखापरीक्षा में नमूना–जाँच किए गए चार महाविद्यालयों में से, एक शासकीय महाविद्यालय[11] और एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय[12] ने क्रमशः दो स्नातक पाठ्यक्रम (2016–18) और एक नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (2019–20) शुरू किये। इस प्रकार, वर्ष 2014–20 की अवधि में लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और उनके सम्बद्ध महाविद्यालयों में केवल कुछ पाठ्यक्रम शुरू किये गये थे।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2022) कि विश्वविद्यालय ने वन्य जीवन कार्यक्रम, महिला अध्ययन, आणविक दवाएं, जीएसटी और कई अन्य नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

3.2.5.2 च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार (2015), च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम न केवल मुख्य विषयों को सीखने का अवसर एवं मार्ग प्रदान करता है, बल्कि किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिये मुख्य विषयों से इतर सीखने के अतिरिक्त अन्य मार्गों के अन्वेषण के लिए भी है। च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम छात्रों को इंटर–डिसिप्लिनरी, इंट्रा–डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम, स्किल ओरिएंटेड पेपर (यहां तक कि उनकी सीखने की जरूरतों, रुचियों और योग्यता के अनुसार अन्य विषयों से) एवं छात्रों के लिये अधिक लचीले तरीके से चयन करने की अनुमति देता है। च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम छात्रों को निर्धारित कोर, वैकल्पिक/लघु या कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा संस्थानों में सेमेस्टर सिस्टम को लागू करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू करने और पाठ्यक्रम को संशोधित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2018)।

नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों द्वारा च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में प्रारंभ करने में किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए वर्ष 2019–20 (चालू वर्ष) की अवधि में च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाले कार्यक्रमों का प्रतिशत एक संकेतक के रूप में उपयोग किया गया ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रम. सं. 05)***। यह संकेतक उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया के समय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने नमूना जाँच किए गए विभागों द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम में च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की पेशकश नहीं की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 2016–17 से च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को दो पाठ्यक्रमों (एक स्नातकोत्तर और एक स्नातक पाठ्यक्रम) में और वर्ष 2020–21 से 42 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लागू किया। इसके अतिरिक्त, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के 10 नमूना–जाँच किये गये महाविद्यालयों में च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम प्रारम्भ नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि शैक्षणिक सत्र 2021–22 से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लागू किया गया है।

[11] महामाया राजकीय डिग्री कॉलेज, महोना, लखनऊ।
[12] नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ।

3.3 प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाएं

इस खंड में, उन पहलुओं पर चर्चा की गई है जो उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रियाओं से निकटता से जुड़े हुए हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ई–संसाधन इत्यादि जैसी उन्नत शिक्षण विधियों का उपयोग, और संकाय से संबंधित पहलुओं जैसे संकाय की उपलब्धता और गुणवत्ता, योग्यता और संकाय के निरंतर व्यावसायिक विकास इत्यादि को भी आच्छादित किया गया है। इसके अतिरिक्त, परीक्षा आयोजित करने और पुनर्मूल्याँकन सहित उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याँकन में समयबद्धता और दृढ़ता के संदर्भ में उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षा प्रणाली का मूल्याँकन किया गया है।

3.3.1 शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तर 21.265, स्मार्ट क्लास रूम प्रदान करके और मेटा विश्वविद्यालयों और संबद्ध विश्वविद्यालयों को जोड़ने वाली इंटरैक्टिव वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ कक्षाओं की स्थापना करके उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों में उन्नत शिक्षण वातावरण की उपस्थिति का मूल्याँकन करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सुविधाओं के साथ कक्षाओं/सेमिनार हॉल का प्रतिशत जैसे स्मार्ट क्लास रूम का प्रतिशत और शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करने वाले शिक्षकों को मुख्य परिणाम संकेतक के रूप में उपयोग किया गया ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रम. सं. 07)***। यह संकेतक उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक से लिया गया है।

कक्षाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना की उपलब्धता की चर्चा प्रस्तर 2.5.1 में की गई है। शैक्षणिक वर्ष 2019–20 की अवधि में शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विधियों के उपयोग के संबंध में विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3 नमूना–जाँच किए गए विभागों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करने वाले शिक्षक

विश्वविद्यालय का नाम	विभाग की संख्या	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की उपलब्धता		सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करने वाले शिक्षकों की संख्या	
		कुल कक्षाएं	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाएं (प्रतिशत)	शिक्षक	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले शिक्षक (प्रतिशत)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	08	28	08 (29)	43	42 (98)
लखनऊ विश्वविद्यालय	10	60	10 (17)	134	85 (63)

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

तालिका 3.3 इंगित करती है कि वर्ष 2019–20 में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के आठ नमूना जाँच विभागों में 43 शिक्षकों में से 42 शिक्षक (98 प्रतिशत) शिक्षण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के संदर्भ में नमूना जाँच किये गये, दस विभागों के 134 शिक्षकों में से 85 (63 प्रतिशत) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पद्धतियों का उपयोग कर रहे थे। अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि वर्ष 2019–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच

किये गये चार महाविद्यालयों[13] के 242 शिक्षकों में से 117 (48 प्रतिशत) शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे। वर्ष 2019–20 की अवधि में लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये चार महाविद्यालयों में 186 शिक्षकों[14] में से 82 (44 प्रतिशत) शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे थे।

शासन ने बताया (जुलाई 2020) कि 2021 में भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के साथ समझौता करके, एक उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की गई है, जिसने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री के संग्रह को विकसित करने में मदद की है। शासन ने बताया कि उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय महाविद्यालयों में ई–लर्निंग पार्क स्थापित किए गए हैं (दिसंबर 2020)। शासन के आदेश दिनांक 28 जनवरी 2021 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में प्री–लोडेड टैबलेट भी उपलब्ध करा दिये गये हैं।

3.3.2 शिक्षण में छात्र–केन्द्रित विधियों का उपयोग, पाठ्यक्रम का आच्छादन, धीमी गति से सीखने वालों का आकलन और मेंटर्स की नियुक्ति

3.3.2.1 छात्र–केन्द्रित विधियों का प्रयोग

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली (प्रस्तर संख्या 2.3.1) विहित करती है कि सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिये, छात्र–केन्द्रित विधियों जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, सहभागी शिक्षण और समस्या–समाधान पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिये।

लखनऊ विश्वविद्यालय में दस विभागों की नमूना जाँच में पाया गया कि छात्र–केन्द्रित विधियों जैसे सेमिनार/कार्यशालाओं का आयोजन, छात्रों को परियोजनाओं का निर्धारण और कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा विजुअल प्रजेन्टेशन आदि का उपयोग सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिये किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय और इसके नमूना जाँच किये गये कालेजों में छात्रों के सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 45 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में सीखने की प्रक्रिया में 'काफी हद तक' छात्र केन्द्रित तरीकों का प्रयोग किया जा रहा था। अन्य 31 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि इन तकनीकों का उपयोग औसत दर्जे का था। इस प्रकार, कुल 76 प्रतिशत छात्र सीखने की प्रक्रिया में छात्र केन्द्रित विधियों के उपयोग से संतुष्ट थे।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में छात्र सर्वेक्षण में 61 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि छात्र–केन्द्रित पद्धति का काफी हद तक उपयोग किया गया था और 35 प्रतिशत ने पद्धति का उपयोग औसत दर्जे का बताया।

3.3.2.2 पाठ्यक्रम सामग्री का आच्छादन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार (फरवरी 2018) शिक्षकों पर कार्यभार सप्ताह में 40 घंटे से कम नहीं होना चाहिये जिसमें 14 से 16 घंटे के साथ न्यूनतम प्रत्यक्ष शिक्षण होना चाहिए

[13] श्री अग्रसेन कन्या पी0जी0 कालेज वाराणसी (122 शिक्षकों में से 49 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे), जगतपुर पी0जी0 कालेज, वाराणसी (77 शिक्षकों में से 25 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे), राजकीय पी0जी0 कालेज सोनभद्र ओबरा (13 शिक्षकों में से 13 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे) और सकलडीहा पी0जी0 कालेज (30 शिक्षकों में से 30 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे)।

[14] महाराजा बिजली पासी राजकीय डिग्री कालेज (25 शिक्षकों में से 25 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे), महामाया राजकीय डिग्री कालेज महोना लखनऊ (12 शिक्षकों में से 2 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे), करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पी0जी0 कालेज लखनऊ (70 शिक्षकों में से 20 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे) और नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ (79 शिक्षकों में से 35 शिक्षक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे)।

जिससे कक्षाओं में पाठ्यक्रम सामग्री पूरी तरह से पूर्ण की जा सके।

नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार 2014–20 की अवधि में शिक्षकों का कार्यभार निर्धारित मानदंड के अनुसार था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 89 प्रतिशत छात्रों और लखनऊ विश्वविद्यालय में 77 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम कक्षाओं में पूर्ण किया गया था, जो दर्शाता है कि शिक्षक कक्षायें ले रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम पूरी तरह से पूर्ण नहीं किया गया था।

3.3.2.3 धीमी गति से सीखने वालों (स्लो लर्नर्स) का आकलन

धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करने और उनकी सहायता के लिये विशेष कक्षायें आयोजित करने के लिये विश्वविद्यालय को अग्रिम और धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की पहचान करने की आवश्यकता है।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में चयनित विभागों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि धीमी गति से सीखने वालों की पहचान करने के लिये कोई औपचारिक प्रणाली नहीं थी। जैसा कि विभाग प्रमुखों ने बताया वर्ष 2014–18 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के आठ चयनित विभागों में से किसी ने भी धीमी गति से सीखने वालों की पहचान नहीं की थी। वर्ष 2018–20 की अवधि में समाज कार्य विभाग ने धीमी गति से सीखने वालों की पहचान की और अतिरिक्त कक्षायें भी प्रदान की गयीं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जाँच किये गये 10 विभागों में से 09 ने अवगत कराया कि धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की मदद की गयी थी, लेकिन उनके लिये अलग से कक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया था। यद्यपि, दर्शनशास्त्र विभाग के प्रमुख ने अवगत कराया कि धीमी गति से सीखने वालों के लिये अलग से कक्षाएं आयोजित की गयीं थीं, तथापि, नमूना जाँच किये गये विभागों ने अपने कथनों को प्रमाणित करने के लिये संबंधित दस्तावेज और आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये।

3.3.2.4 छात्रों को परामर्श

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँच किये गये विश्वविद्यालयों ने छात्रों के लिये शैक्षणिक और तनाव संबंधी प्रकरणों हेतु परामर्शदाता नियुक्त नहीं किया था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने अवगत कराया (जुलाई 2021) कि मेंटर की नियुक्ति शीघ्र की जायेगी। यद्यपि, लखनऊ विश्वविद्यालय ने सूचित किया (अगस्त 2021) कि नियमित संकाय, तनाव से संबंधित प्रकरणों पर परामर्श प्रदान करते हैं। इस संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग ने बताया कि वर्ष 2020–21 में विभाग में एक टी.आर.ई.ई. (टीचिंग, रीचिंग, एम्बोल्डेनिंग, ईवॉल्विंग) कार्यक्रम लागू किया गया था जिसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक से स्नातकोत्तर छात्रों के एक सेट को प्रवेश लेने से लेकर उनके पास होने तक मेंटर किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

3.4 संकाय की उपलब्धता और गुणवत्ता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों की योग्यता और उनकी कार्य के प्रति निष्ठा इन शिक्षण संस्थानों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी 'उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर रिपोर्ट के प्रस्तर 7.1.2 में निहित है कि योग्य प्राध्यापकों की कमी के साथ–साथ क्षेत्रों में उनकी गतिशीलता का अभाव भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के विकास में एक प्रमुख बाधा है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के अनुसार, संकाय/शिक्षक की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले पहलुओं में उनकी शैक्षिक योग्यता, अध्यापन वैशिष्ट्य, उपलब्धता, व्यावसायिक विकास और उनकी अध्यापन योग्यता का परिज्ञान सम्मिलित हैं।

3.4.1 शिक्षकों की उपलब्धता

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना का उद्देश्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में योग्य प्राध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। रूसा के तहत, राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे सभी रिक्त स्वीकृत पदों को भरें तथा छात्र–शिक्षक अनुपात 20:1 करने के लिए अतिरिक्त पदों हेतु धन की मांग करें।

3.4.1.1 शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता

रूसा के दिशानिर्देशों में छात्र शिक्षक अनुपात[15] 20:1 निर्धारित है। वर्ष 2014–20 की अवधि में राज्य सरकार के महाविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता तथा छात्रों का कुल नामांकन नीचे दिए गए **चार्ट 3.1** एवं **तालिका 3.4** में वर्णित है।

चार्ट 3.1: राज्य के सरकारी कालेजों में प्राध्यापकों की उपलब्धता

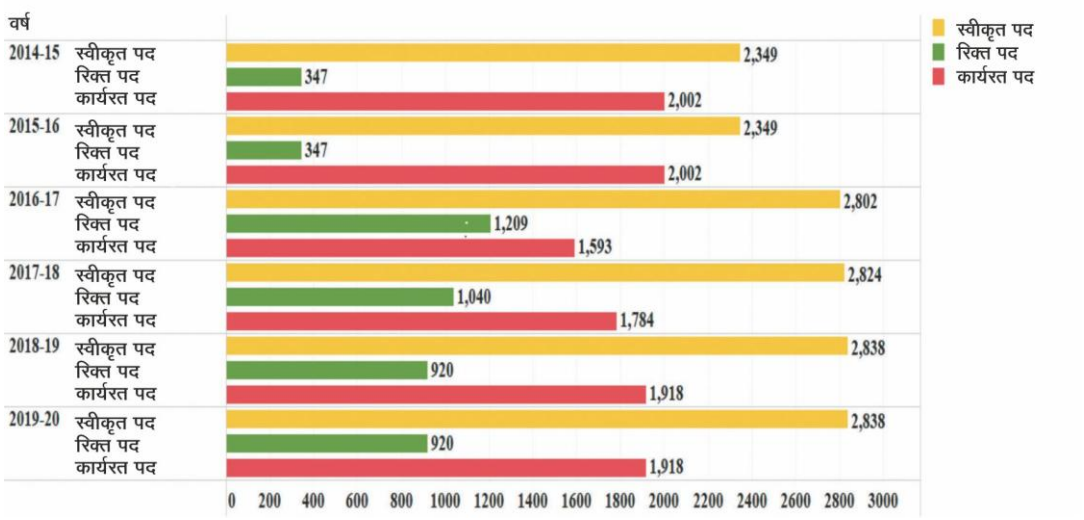

तलिका 3.4: राज्य के शासकीय महाविद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात

वर्ष	शिक्षकों की उपलब्धता	कुल नामाँकन	छात्र–शिक्षक अनुपात
2014-15	2,002	98,202	49:1
2015-16	2,002	99,402	50:1
2016-17	1,593	96,101	60:1
2017-18	1,784	97,337	55:1
2018-19	1,918	99,403	52:1
2019-20	1,918	94,301	49:1

(स्रोतः उच्च शिक्षा विभाग)

[15] छात्र–शिक्षक अनुपात किसी संस्थान में नामाँकित छात्रो की संख्या को संस्था में शिक्षकों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है।

चार्ट 3.1 और **तालिका 3.4** से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–20 की अवधि में प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के पद रिक्त थे और रिक्तियों का प्रतिशत 14.77 (2014–15) और 43.14 (2016–17) के मध्य था। छात्र–शिक्षक अनुपात 49:1 (2014–15) और 60:1 (2016–17) के बीच था जो रूसा द्वारा निर्धारित अनुपात 20:1 से काफी अधिक था।

समापन बैठक (15 जुलाई 2022) में बताया गया कि भविष्य में शासकीय महाविद्यालयों की स्थिति में सुधार किया जाएगा।

3.4.1.2 नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों की उपलब्धता

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रूसा मानदंड (20:1) के अनुसार छात्र–शिक्षक अनुपात के संदर्भ में शैक्षणिक क्षमता का विश्लेषण किया गया। इसका उपयोग शिक्षण की गुणवत्ता के लिए एक परिणाम सूचक के रूप में किया गया ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 6)***।

नमूना–जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों में नामाँकित छात्रों की कुल संख्या, शिक्षकों की संख्या और छात्र–शिक्षक अनुपात की स्थिति **तालिका 3.5** और **चार्ट 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.5: 2019–20 की अवधि में नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात

विश्वविद्यालय का नाम	उच्च शिक्षण संस्थान	कुल छात्रों की संख्या			शिक्षकों की संख्या			छात्र–शिक्षक अनुपात		
		कला	वाणिज्य	विज्ञान	कला	वाणिज्य	विज्ञान	कला	वाणिज्य	विज्ञान
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	विश्वविद्यालय	5,825	672	956	108	13	18	54	52	53
	शासकीय महाविद्यालय	2,860	696	612	19	4	2	151	174	306
	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय	10,191	2,635	2,298	155	45	23	66	59	100
लखनऊ विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	3,059	1,099	1,545	169	28	126	18	39	12
	शासकीय महाविद्यालय	1,324	250	180	23	4	10	58	63	18
	अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय	4,121	892	719	83	16	35	50	56	21

(स्रोतः महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

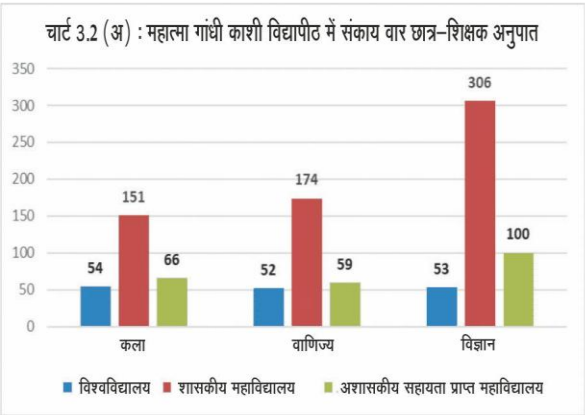

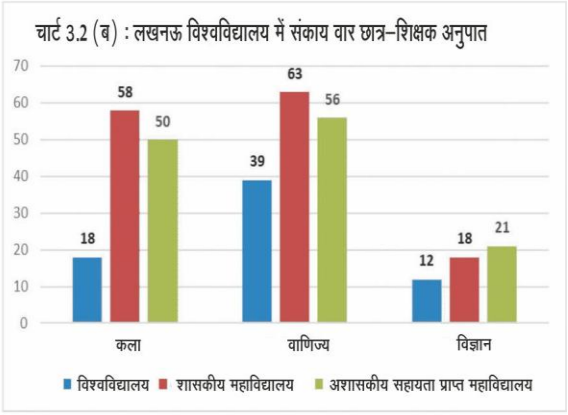

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्गों के छात्र–शिक्षक अनुपात क्रमशः 54:1, 52:1 और 53:1 थे, जो निर्धारित 20:1 की सीमा से काफी अधिक थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में उक्त अनुपात क्रमशः 18:1, 39:1 और 12:1 था जो महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से बेहतर था। वाणिज्य वर्ग में छात्र–शिक्षक अनुपात अधिक था और अन्य दो वर्गों में छात्र–शिक्षक अनुपात मानदंड के अन्तर्गत था।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात बहुत अधिक था (कलाः 151:1, वाणिज्यः 174:1 और विज्ञानः 306:1)। लखनऊ विश्वविद्यालय के शासकीय महाविद्यालयों में, छात्र–शिक्षक अनुपात तुलनात्मक रूप से कम था (कलाः 58:1, वाणिज्यः 63:1 और विज्ञानः 18:1), विज्ञान वर्ग में छात्र–शिक्षक अनुपात निर्धारित सीमा के अर्न्तगत था ***(परिशिष्ट 3.1)***।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच किए गए अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में, सभी वर्गों में छात्र–शिक्षक अनुपात मानक से अधिक था (कलाः 66:1, वाणिज्यः 59:1 और विज्ञानः 100:1)। लखनऊ विश्वविद्यालय के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्थिति (कलाः 50:1, वाणिज्यः 56:1 और विज्ञानः 21:1) महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के समान थी अपवादस्वरूप विज्ञान वर्ग में छात्र–शिक्षक अनुपात लगभग मानदंड के अनुरूप था ***(परिशिष्ट 3.1)***।

शासन ने बताया (जुलाई 2020) कि छात्र–शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए वर्तमान में स्पष्ट शासनादेश हैं। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रारम्भ कर दिया है।

3.4.1.3 संविदा पर नियुक्त शिक्षक

नमूना जाँच विश्वविद्यालयों में वर्ष 2014–20 की अवधि में नियमित एवं अनुबंधित शिक्षकों की स्थिति निम्नवत् थी–

तालिका 3.6: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय में नियमित एवं अनुबंधित शिक्षक

वर्ष	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में शिक्षकों की संख्या			लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या		
	कुल संख्या	नियमित	अनुबंधित	कुल संख्या	नियमित	अनुबंधित
2014-15	241	130	111	324	310	14
2015-16	213	121	92	316	302	14
2016-17	214	118	96	338	324	14
2017-18	227	113	114	335	321	14
2018-19	226	123	103	331	317	14
2019-20	139	105	34	323	309	14
औसत	**210**	**118**	**92 (44 *प्रतिशत*)**	**328**	**314**	**14 (4 *प्रतिशत*)**

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 3.6** से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में औसतन 44 प्रतिशत शिक्षक संविदा पर थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के संदर्भ में उक्त अवधि में केवल चार प्रतिशत शिक्षक ही संविदा पर थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के पाँच नमूना जाँच शासकीय महाविद्यालयों में से एक[16] में वर्ष 2014–15 में 22 प्रतिशत तथा 2015–16 में 15 प्रतिशत

[16] राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र

शिक्षक संविदा पर नियुक्त किये गये थे। तथापि, इन महाविद्यालयों में बाद के वर्षों में किसी शिक्षक की नियुक्ति संविदा पर नहीं की गयी थी।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के पाँच नमूना जाँच अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से प्रत्येक के प्रकरण में शैक्षिक कर्मचारियों का एक बड़ा अनुपात संविदा पर था। संविदा पर नियुक्त शिक्षकों का प्रतिशत महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी में 76 से 80 प्रतिशत, श्री अग्रसेन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी में 80 से 83 प्रतिशत, सकलडीहा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चंदौली में 33 से 37 प्रतिशत एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ में 43 से 61 प्रतिशत तथा नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ में 32 से 45 प्रतिशत के मध्य था।

इस प्रकार, नमूना जाँच विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में, विशेषकर नमूना जाँच अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों का एक बड़ा भाग संविदा पर नियुक्त शिक्षकों का था। उच्च छात्र–शिक्षक अनुपात (जैसा कि प्रस्तर 3.4.1.2 में चर्चा की गयी है) के साथ संविदा पर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति इन उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है।

3.4.1.4 आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण

01 फरवरी 2019 से प्रभावी उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2020 नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों में आरक्षण का प्राविधान राज्य में वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2021–22 में 17 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी परन्तु किसी भी शिक्षक की नियुक्ति आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत नहीं की गयी क्योंकि पद के लिये आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी निर्धारित 100 प्वाइंट रोस्टर के अंतर्गत नहीं आती थी। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ द्वारा वर्ष 2020–22 की अवधि में किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गयी थी।

अग्रेतर, शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2019–22 की अवधि में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी। यद्यपि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में वर्ष 2020–21 में शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। कुल 2002 रिक्तियों में से 182 पद आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिये आरक्षित थे जिसके सापेक्ष आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत 180 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बताया (सितम्बर 2022) कि शिक्षकों की नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण महाविद्यालय स्तर पर 100 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर दिया गया था।

3.4.2 न्यूनतम निर्धारित योग्यता वाले शिक्षकों की उपलब्धता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की सम्बद्धता) विनियम, 2009 के प्रस्तर 3.4.4 में प्रावधान है कि शिक्षकों के पदों की संख्या, शिक्षक की योग्यता और उनकी भर्ती/पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी और सेवा की शर्तें विधि[17]/अध्यादेश/विश्वविद्यालय का विनियम/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार होगा।

[17] अधिनियम, विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया दस्तावेज है जिसमें विश्वविद्यालय के निर्माण एवं स्थापना के लिये सरकार द्वारा जारी अध्यादेश की शर्तों को शामिल किया गया है।

इस सन्दर्भ में, शासन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 में किए गए प्राविधान के अनुसार, विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित परास्नातक डिग्री और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) निर्धारित की (दिसंबर 2013)। जुलाई 2009 से पहले पीएचडी में पंजीकृत छात्रों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता की शर्त से छूट प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014–20 की अवधि में चयनित विभागों में शिक्षकों की नई भर्ती की संवीक्षा में पाया कि चयनित विश्वविद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों के मामले में, आवश्यक योग्यता का पालन किया गया था। लेकिन, दो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों[18] में, 149 शिक्षकों में से आठ अंशकालिक शिक्षकों के पास वांछित न्यूनतम योग्यता नहीं थी क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की और वर्ष 2009 से पूर्व पीएचडी के लिए भी दाखिला नहीं लिये थे।

3.4.3 पीएचडी के साथ पूर्णकालिक शिक्षक

उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा वर्ष 2014–19 की अवधि में पीएचडी डिग्री वाले पूर्णकालिक शिक्षकों की उपलब्धता का प्रयास करने का आकलन करने हेतु नमूना जाँच हेतु चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी डिग्री धारक पूर्णकालिक शिक्षकों के औसत प्रतिशत को एक संकेतक के रुप में प्रयोग किया गया ***(परिशिष्ट 1.2 की क्रम संख्या 7)***। यह सूचक, उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2014–20 की अवधि में पीएचडी के साथ सामान्य विषयों (बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम0, एम0ए0, एम0एस0सी0 और एम0कॉम0) में पूर्णकालिक शिक्षकों की स्थिति **तालिका 3.6(अ)** में दी गई है।

तालिका 3.6(अ) पीएचडी के साथ पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या

वर्ष	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ			लखनऊ विश्वविद्यालय		
	पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	पीएचडी के साथ पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत	पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	पीएचडी के साथ पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत
2014-20 (औसत)	118	108	92	314	312	99

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

इस प्रकार वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 92 प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षक और लखनऊ विश्वविद्यालय में 99 प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षक पीएचडी धारक थे। मार्च 2020 तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में 10 शिक्षकों और लखनऊ विश्वविद्यालय में छह शिक्षकों के पास पीएचडी की डिग्री नहीं थी ***(परिशिष्ट 3.2)***। अग्रेतर, संवीक्षा पाया गया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में लखनऊ विश्वविद्यालय में बिना पीएचडी के नियुक्त 15 शिक्षकों ने सेवाकाल में पीएचडी डिग्री प्राप्त की।

3.4.4 पूर्णकालिक शिक्षक जिन्होंने पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप प्राप्त किये

राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाना उनकी अध्यापन उत्कृष्टता और शोध क्षमता का परिचायक है। वर्ष 2014–20 की अवधि में राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार तथा मान्यता प्राप्त निकायों से पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप प्राप्त करने वाले

[18] करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी महाविद्यालय, लखनऊ (पाँच शिक्षक) और नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ (चार शिक्षक)

पूर्णकालिक शिक्षकों का प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक संवर्ग की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक संकेतक ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 8)*** के रूप में प्रयोग किया गया। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

वर्ष 2014–20 की अवधि में पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या नीचे **तालिका 3.7** में दी गई है:

तालिका 3.7: वर्ष 2014–20 की अवधि में पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या

विश्वविद्यालय का नाम	विगत छः वर्षों की अवधि में पूर्णकालिक शिक्षकों की औसत संख्या	विगत छः वर्षों की अवधि में राज्य/राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	118	शून्य	शून्य
लखनऊ विश्वविद्यालय	314	4	1.27

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

इस प्रकार वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और इसके नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में किसी भी शिक्षक को पुरस्कार आदि प्राप्त नहीं हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय में केवल चार शिक्षकों (1.27 प्रतिशत) ने पुरस्कार, फेलोशिप प्राप्त की ***(परिशिष्ट 3.2)***।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में वर्ष 2014–20 की अवधि में दो शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों में किसी को पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था। तथापि, लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए लखनऊ विश्वविद्यालय के दो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से एक (करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ) में एक शिक्षक को प्रायोगिक शिक्षण के लिए पुरस्कार/प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था।

इस प्रकार, यह तथ्य कि बहुत ही कम शिक्षकों के कार्य को पुरस्कार, सम्मान आदि के माध्यम से मान्यता प्राप्त थी, यह प्रदर्शित करता है कि या तो शिक्षण का स्तर और गुणवत्ता पर्याप्त नहीं थी या जिन परिस्थितियों में शिक्षण कार्य किया जा रहा था वह उच्च स्तरीय शिक्षण को प्रेरित करने के अनुकूल नहीं थीं।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि राज्य शिक्षक पुरस्कार नियम 2021 के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नौ शिक्षकों को सरस्वती पुरस्कार और 15 शिक्षकों को शिक्षा श्री पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

तथ्य यह है कि बहुत कम शिक्षकों को राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, सम्मान, फेलोशिप आदि प्राप्त हुए हैं।

3.4.5 अन्य राज्यों के पूर्णकालिक शिक्षक

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जारी 'उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर रिपोर्ट के प्रस्तर 7.1.7 (बी) के अनुसार, प्राध्यापकों की नियुक्ति पूरी तरह से एक ही विश्वविद्यालय में शिक्षित अभ्यर्थियों से नहीं की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कम से कम 20 प्रतिशत शैक्षणिक पद देश के अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए।

राज्य भर में शिक्षकों की गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में अन्य राज्यों से भर्ती किए गए शिक्षकों के आंकड़ों का विश्लेषण **तालिका 3.8** में किया गया है।

तालिका 3.8: वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में अन्य राज्यों के शिक्षक

विश्वविद्यालय	स्वीकृत पद की संख्या	उपलब्ध पूर्णकालिक शिक्षकों की औसत संख्या	अन्य राज्य के शिक्षकों की औसत संख्या	अन्य राज्य के शिक्षकों की संख्या (प्रतिशत में)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	177	118	04	03
लखनऊ विश्वविद्यालय	473	314	25	08

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

स्पष्टतया नमूना जाँच किये गए दोनों ही विश्वविद्यालयों में अन्य राज्य के शिक्षकों का प्रतिशत निर्धारित 20 प्रतिशत से अत्यधिक कम था ***(परिशिष्ट 3.2)***।

3.4.6 सम्मेलन/कार्यशाला में भाग लेने के लिए संकाय को वित्तीय सहायता

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या का आकलन करने के लिए, वर्ष 2014–20 की अवधि ऐसे शिक्षकों का औसत प्रतिशत संकेतक के रूप में उपयोग किया गया ***(परिशिष्ट 1.2 की क्रम संख्या 9)***। यह सूचक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा से प्रकाश में आया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय और उनके 10 नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों ने वर्ष 2014–20 की अवधि में सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने और व्यावसायिक निकायों की सदस्यता शुल्क के लिए प्राध्यापकों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की थी। इस प्रकार, विश्वविद्यालयों ने समीक्षाधीन अवधि की अवधि में शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास को न तो प्रोत्साहित किया और न ही वित्तीय रूप से सहयोग ही किया।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने बताया (जुलाई 2022) कि कार्यकारी परिषद द्वारा सेमिनार–संगोष्ठी निधि के निर्माण को मंजूरी (मई 2022) दी गयी है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रत्येक शिक्षक को निधि के ब्याज से ₹ 5,000 तक पंजीकरण शुल्क तथा ₹ 25,000 तक यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.5 व्यावसायिक विकास/संकाय का प्रशिक्षण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जारी 'उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर रिपोर्ट के प्रस्तर 7.1.3 में कहा गया है कि संकाय विकास कार्यक्रम प्रारंम्भ करने में, प्रवेश स्तर पर उन्मुखीकरण, पाठ्यक्रम विकास, अध्ययन अध्यापन, शोध एवं नवाचार, सामाजिक सहभागिता एवं नेतृत्व की क्षमता का विकास जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। आवश्यकता अनुरुप रुपांकित संकाय विकास कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर विकसित किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली[19] के अनुसार, शिक्षकों को सीखने, नवीनतम विकास से स्वयं को अवगत रखने, लगातार अपने काम में सुधार और व्यक्तिगत और संस्थागत उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु स्वयं पहल करनी होगी।

[19] प्रस्तर 6.3.3

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या का आकलन करने के लिए वर्ष 2014–20 की अवधि में व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों[20] में भाग लेने वाले शिक्षकों के औसत प्रतिशत को एक संकेतक ***(परिशिष्ट 1.2 की क्रम संख्या 10)*** के रुप में प्रयोग किया गया।

वर्ष 2014–20 की अवधि में व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों की स्थिति **तालिका 3.9** में दी गई है।

तालिका 3.9: व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षक

विश्वविद्यालय का नाम	पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या						व्यवसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या वर्षवार (प्रतिशत)						
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	औसत
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	130	121	118	113	123	105	16 (12)	10 (08)	11 (09)	26 (23)	35 (28)	34 (32)	19
लखनऊ विश्वविद्यालय	310	302	324	321	317	309	53 (17)	54 (18)	29 (9)	51 (16)	55 (17)	49 (16)	16
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच महाविद्यालय	215	217	217	223	225	248	8 (4)	10 (5)	8 (3)	11(5)	14 (6)	10 (4)	5
लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच महाविद्यालय	101	101	105	111	115	125	9 (9)	17 (17)	13 (12)	21 (19)	20 (17)	43 (34)	19

(स्रोतः सम्बंधित उच्च शिक्षण संस्थान)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में औसतन 19 प्रतिशत शिक्षकों ने और लखनऊ विश्वविद्यालय के 16 प्रतिशत शिक्षकों ने ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों का औसत क्रमशः केवल पाँच प्रतिशत और 19 प्रतिशत ही था ***(परिशिष्ट 3.3)***।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि शिक्षकों का प्रशिक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित पुनश्चर्या एवं संकाय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि उचित अभिलेखों के अभाव में, विश्वविद्यालयों द्वारा यह सूचना नहीं प्रदान की गई होगी।

3.6 परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली की मजबूती

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली[21] के अनुसार, एक उच्च शिक्षण संस्थान की परीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता, परीक्षा आयोजित करने में नियमितता, प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता, कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के परिणामों का वास्तविक परीक्षण करने की दक्षता, आदि पर निर्भर करती है। मूल्यांकन के उद्देश्यों में एक उद्देश्य विकास–उत्प्रेरण प्रतिक्रिया प्राप्त करना भी है। एक उत्कृष्ट मूल्यांकन प्रणाली छात्रों की योग्यता बढ़ाने में योगदान करती है।

[20] अभिविन्यास कार्यक्रम/पाठयक्रम, पुनश्चर्या कार्यक्रम/पाठयक्रम, लघुअवधि कार्यक्रम/पाठयक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम/पाठयक्रम
[21] प्रस्तर 2.5

3.6.1 प्रश्न पत्रों को तैयार करने की प्रणाली

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय ने बताया कि परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने वालों का चयन शिक्षा परिषद से प्राप्त शिक्षकों की सूची से किया गया जिसे कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। शिक्षकों से प्राप्त प्रश्नपत्रों को विभागाध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति द्वारा अनुशोधित किया जाता है और उसके बाद प्रश्नपत्रों को मुद्रण के लिए सील कर दिया जाता है एवं परीक्षा केंद्रों को भेज दिया जाता है।

3.6.2 परीक्षाओं में प्रश्नों की गुणवत्ता

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख नीतिगत अभिलेखों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधारों को समग्र शैक्षणिक सुधारों के प्रमुख आयामों में से एक माना जाता है।

विश्लेषणात्मक प्रश्नों की उपस्थिति, पिछले वर्षों के प्रश्नों की कम पुनरावृत्ति, खुली किताब परीक्षाओं के संचालन को लेखापरीक्षा में अच्छी गुणवत्ता वाले प्रश्न पत्रों की विशेषताओं के रूप में चिन्हित किया गया है। लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

3.6.2.1 प्रश्नपत्रों में विश्लेषणात्मक प्रश्नों की उपस्थिति

विश्लेषणात्मक प्रश्न छात्र की तथ्यों का अध्ययन करके प्रतिरुप विश्लेषण की तार्किक शक्ति एवं निष्कर्ष पर पहुँचने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता हैं। इस तरह के प्रश्न छात्रों की आलोचनात्मक क्षमता और समस्या समाधान की दक्षता का आकलन करते हैं।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में वर्ष 2014–20 की अवधि में प्रश्न पत्रों में विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं समाहित किए थे। अग्रेतर, लखनऊ विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्षों/ परीक्षा नियंत्रक ने सूचित किया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 10 विभागों में से सात विभागों में प्रश्नपत्रों में विश्लेषणात्मक प्रश्न समाहित किए गए थे।

3.6.2.2 पाठ्यक्रम जिनमें खुली पुस्तक परीक्षा की अनुमति थी

छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और रटने को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से खुली पुस्तक परीक्षाओं को शुरू करने में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन करने के लिए वर्ष 2019–20 में उन शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रतिशत, जिसमें खुली पुस्तक परीक्षा की अनुमति है, एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया गया था ***(परिशिष्ट–1.2 की क्रम संख्या 11)***।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वर्ष 2014–20 की अवधि में किसी भी कार्यक्रम में खुली पुस्तक परीक्षा की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार, परीक्षा का ध्यान अभी भी मुख्य रूप से रटकर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केन्द्रित था जो छात्रों को परीक्षा के माध्यम से स्वयं सीखने की क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्रदान नहीं करता है।

3.6.3 परीक्षाओं के स्वचालन की स्थिति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बारहवीं पंचवर्षीय योजना जैसे नीतिगत अभिलेखों में विहित है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लायी जा सकती है।

नमूना जाँच में लिए गए दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा सूचित किया गया कि परीक्षा से संबंधित कार्य जैसे परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त करना, छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म में त्रुटियों को ठीक करने का अवसर, प्रवेश पत्र जारी करना, परीक्षा परिणाम घोषित करना, अंक पत्र जारी करना और पुनर्मूल्याँकन के लिए

आवेदन पत्र प्राप्त करना पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत हैं। छात्रों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 2019–20 से इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सर्विस ऑफ एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर लागू किया है। तथापि, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिणामों को विलम्ब से घोषित किया जाना पाया गया।

3.6.4 परीक्षा परिणाम घोषणा में विलम्ब

परिणामों की समय पर घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से स्नातक छात्रों के लिए, क्योंकि उनके अध्ययन के बाद के अनेक अवसर जैसे कि रोजगार, आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं में नामाँकन इत्यादि परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन पर निर्भर होते हैं। परिणामों की घोषणा में किसी भी तरह की देरी से ऐसे छात्रों के भविष्य को बहुत नुकसान होने की संभावना होती है।

प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ, नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करते हैं जो पूरे वर्ष उनकी सभी गतिविधियों के लिए समय सारिणी के रूप में कार्य करता है। विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष जून के महीने तक अंतिम परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया था। लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि बी0ए0, बी0कॉम0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0कॉम0 और एम0एससी0 पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित करने में बहुत अधिक विलम्ब किया गया था। विलम्ब का विवरण **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10: परिणामों की घोषणा में देरी

वर्ष	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी			लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ		
	नियत तिथि	वास्तविक तिथि	विलम्ब का दिवस	नियत तिथि	वास्तविक तिथि	विलम्ब का दिवस
2014-15	30.06.2015	16.06.2015 से 12.08.2015	43	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2015-16	30.06.2016	13.06.2016 से 16.08.2016	47	30.06.2016	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2016-17	30.06.2017	06.06.2017 से 30.08.2017	61	30.06.2017	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2017-18	30.06.2018	05.05.2018 से 16.07.2018	16	30.06.2018	04.05.2018 से 29.08.2018	59
2018-19	15.06.2019	30.04.2019 से 15.06.2019	0	15.06.2019	03.05.2019 से 11.09.2019	88
2019-20	15.06.2020	10.10.2020 से 15.03.2021	273	15.06.2020	03.10.2020 से 07.12.2020	175

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

तालिका 3.10 से स्पष्ट है कि वर्ष 2018–19 को छोड़कर वर्ष 2014–15 से 2019–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में परिणाम 273 दिनों तक विलम्ब से घोषित किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा माँग किये जाने के बावजूद वर्ष 2014–17 की अवधि में परिणामों की घोषणा से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2017–20 की अवधि में परिणाम 59 से 175 दिनों की देरी से घोषित किये गए। इस प्रकार, विश्वविद्यालय मूल्याँकन और परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधन में विफल रहे जिसके कारण परिणाम घोषित करने में बहुत अधिक विलम्ब हुआ।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कलैण्डर जारी किया जाता है, जिसका पालन विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाना होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर में बताया कि परिणाम घोषित करने में कुछ देरी कोविड–19 के कारण हुई।

तथ्य यह है कि विश्वविद्यालय में वर्ष 2017–18 से परिणाम घोषित करने में लगातार विलम्ब किया गया था।

3.6.5 ग्रेडिंग प्रणाली

च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम दिशानिर्देश (2015–16 से प्रभावी) में प्रत्येक छःमाही में छात्र के निष्पादन के प्रदर्शन हेतु मानकीकृत वर्ण ग्रेड, संबंधित ग्रेड अंक, छःमाही ग्रेड बिंदु की गणना हेतु एक रूप प्रणाली तथा औसत और संचयी ग्रेड बिंदु, औसत एवं समेकित प्रारूप का प्राविधान किया गया है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) जैसे विश्वविद्यालयों ने छात्रों के मूल्याँकन और छात्रों की सहभागिता और भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्ष 2009–10 से विज्ञान संकाय में और वर्ष 2010–11 से वाणिज्य संकाय में ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया है।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने पाठ्यक्रम में पारंपरिक अंक प्रणाली को ग्रेडिंग प्रणाली में परिवर्तित (स्वीचओवर) नहीं किया। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में वर्ष 2014–20 की अवधि में शुरू किए गए नए कार्यक्रमों में भी ग्रेडिंग प्रणाली शुरू नहीं की गयी। लखनऊ विश्वविद्यालय में केवल विज्ञान विषयों में ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया गया है और वह भी केवल स्नातकोत्तर स्तर पर। इस प्रकार, विश्वविद्यालयों द्वारा पुरानी अंकन प्रणाली को ही लागू रखा गया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के लिए अप्रैल 2022 में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

3.7 छात्रों की उपस्थिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2003 के अनुसार, विश्वविद्यालयों में छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति हेतु न्यूनतम संख्या में व्याख्यान, ट्यूटोरियल, सेमिनार और प्रायोगिक कक्षा का निर्धारण करना था जो सामान्यतः सम्पूर्ण व्याख्यान, ट्यूटोरियल, सेमिनार और प्रायोगिक कक्षा का 75 प्रतिशत से कम न हो, निर्धारित करना था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय दोनों ने ही परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति निर्धारित की थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय दोनों में, विभाग/संकाय उपस्थिति रजिस्टर में नियमित उपस्थिति लेने की प्रथा का पालन कर रहे थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में उपस्थिति कम होने के कारण कोई छात्र वंचित नहीं हुआ।

वर्ष 2014–20 की अवधि में, लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना–जाँच किए गए सभी सरकारी महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा उपस्थिति पंजिका का रख–रखाव किया जा रहा था और कोई भी छात्र न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति से कम उपस्थिति वाला नहीं पाया गया।

3.8 मूल्याँकन प्रक्रिया

पूर्व में विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याँकन विकेंद्रीकृत तरीके से किया जाता था जिससे मूल्यांकन में बहुत अधिक समय लगता था। इसे

नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालयों में एक केंद्रीकृत मूल्याँकन प्रणाली शुरू की गई, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनाने वाले शिक्षकों का चयन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याँकन के लिए किया गया। केंद्रीकृत मूल्याँकन प्रणाली का विवरण निम्नवत है:

3.8.1 केंद्रीकृत मूल्यांकन प्रणाली

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित उनके द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याँकन के लिए मूल्याँकन प्रणाली को अपने परिसर में केंद्रीकृत किया था। परीक्षा के आयोजन के बाद, कुलपति द्वारा समन्वयकों की एक टीम का चयन किया जाता है, जो मूल्याँकन प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए उप समन्वयकों से मिलकर अपनी पसंद के अनुसार दलों का चयन करता है। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याँकन के लिए वरिष्ठता के आधार पर बनाई गई सूची में से शिक्षकों के एक दल का चयन किया जाता है।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याँकन के लिए परीक्षकों को कोई मानक उत्तर कुंजी नहीं प्रदान की गई थी। परिणामस्वरूप, मूल्याँकनकर्ताओं के अनुभव के आधार पर मूल्याँकन किया गया जो मूल्याँकन प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता के तत्व को शामिल करता है।

3.8.2 उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

एक परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्याँकन उन छात्रों के अनुरोधों को संदर्भित करता है जो अपने उत्तरों का मूल्याँकन नए सिरे से करने हेतु माँग करते हैं कि उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किया है वह उनकी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। विश्वविद्यालय अपने नियमों के अनुसार इस तरह के पुनर्मूल्याँकन की अनुमति देते हैं।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में परीक्षा के मूल्यांकन की शुद्धता का आकलन करने के लिए वर्ष 2014–19 की अवधि में अंकों में परिवर्तन हेतु पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदनों का औसत प्रतिशत एक सूचक ***(परिशिष्ट 1.2 के क्रम संख्या 12)*** के रूप में उपयोग किया गया। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में, जो छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं, उन्हें सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आवेदन करना होता है और शैक्षणिक वर्ष 2017–18 से उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्याँकन के लिए प्रति पेपर ₹ 3,000 का भुगतान करना था। तथापि, यह शुल्क स्नातक पाठ्यक्रमों के औसत नियमित शुल्क (₹ 2,365) से अधिक था। उच्च शुल्क संभावित रूप से छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्याँकन की माँग करने से हतोत्साहित करता है। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में वर्ष 2017–20 की अवधि में पुनर्मूल्याँकन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या **तालिका 3.11** में दी गई है।

तालिका 3.11: उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्याँकन की स्थिति

विश्वविद्यालय का नाम	कार्यक्रम का प्रकार	परीक्षा के लिये उपस्थित छात्रों की संख्या	पुनर्मूल्याँकन के लिये आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या	पुनर्मूल्याँकन के बाद छात्रों के अंको में बढोत्तरी (प्रतिशत)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	**स्नातक**	18,568	34	29 (85)
	स्नातकोत्तर	15,815	16	16 (100)
योग		34,383	50	45 (90)

(स्रोत: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ)

यह पाया गया कि पुनर्मूल्यांकन हेतु अनुरोधों की संख्या बहुत कम थी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले 90 प्रतिशत छात्रों के अंक पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़ा दिए गए थे।

वर्ष 1998–99 में बैक पेपर सुविधाओं की शुरुआत के बाद से लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा को वापस ले लिया था।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि सभी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में मूल्याँकन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं (अगस्त 2021)।

3.8.3 सुधार परीक्षा

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों ने छात्रों को सुधार परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी। ऐसी परीक्षाओं के परिणाम का आंकलन करने के लिए वर्ष 2017–20 की अवधि में जिन प्रश्नपत्रों में अंकों में वृद्धि हुई, उनका प्रतिशत, संकेतक के रूप में पहचाना गया ***(परिशिष्ट–1.2 का क्रमांक 13)***। परिणामों की स्थिति **तालिका 3.12** में दी गई है।

तालिका 3.12: सुधार परीक्षा की स्थिति

विश्वविद्यालय का नाम	कार्यक्रम का प्रकार	मुख्य परीक्षा में बैठने वाले छात्रो की संख्या	सुधार परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले छात्रो की संख्या	उन प्रश्नपत्रों की संख्या जिनमें छात्र वास्तव में उपस्थित हुये	प्रश्नपत्रों की संख्या जिनमें सुधार परीक्षा में अंक बढे (*प्रतिशत*)
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	स्नातक	18,568	1,032	1,374	1,073 (78)
	स्नातकोत्तर	15,815	626	531	392 (73)
योग		**34,383**	**1,658**	**1,905**	**1,465 (77)**
लखनऊ विश्वविद्यालय	स्नातक	6,244	2,162	अनुपलब्ध	2,162 (100)[22]
	स्नातकोत्तर	6,424	621	अनुपलब्ध	621 (100)
योग		**12,668**	**2,783**	अनुपलब्ध	**2,783 (100)**

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

उपरोक्त **तालिका 3.12** से देखा जा सकता है कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ की सुधार परीक्षाओं में औसतन 77 प्रतिशत प्रश्नपत्रों में अंक बढ़े। इसके अलावा, लखनऊ विश्वविद्यालय में सुधार परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले सभी छात्रों के अंक बढ़े थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में सुधार परीक्षा के परिणाम महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ की तुलना में बेहतर थे। हालांकि, सुधार परीक्षाओं का लागू किया जाना छात्रों के लिए लाभदायक साबित हुआ।

3.8.4 बैक पेपर परीक्षा

लेखापरीक्षा में पाया कि दोनों नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों ने असफल छात्रों को बैक पेपर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी। बैक पेपर परीक्षा के परिणामों का आकलन करने के लिए वर्ष 2017–20 में अंक बढ़ने वाले प्रश्नपत्रों के प्रतिशत को एक संकेतक के रूप में पहचाना गया था ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 14)***। बैक पेपर के परिणामों की स्थिति **तालिका 3.13** में दी गई है।

[22] सुधार परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले छात्रो की संख्या के सम्बंध में आकड़ों के अभाव में लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सुधार के लिये आवेदन किये गये प्रश्नपत्रो की संख्या के साथ प्रतिशत की गणना की गयी है।

तालिका 3.13: बैक पेपर परीक्षा की स्थिति

विश्वविद्यालय	कार्यक्रम का प्रकार	मुख्य परीक्षा में बैठने वाले छात्रो की संख्या	बैक पेपर परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले छात्रो की संख्या	उन प्रश्नपत्रों की संख्या जिनमें छात्र वास्तव में उपस्थित हुये	प्रश्नपत्रों की संख्या जिसमें बैक पेपर परीक्षा में अंक बढे
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	स्नातक	18,568	561	1,884	437 (23)
	स्नातकोत्तर	15,815	826	1,274	603 (47)
योग		**34,383**	**1,387**	**3,158**	**1,040 (33)**
लखनऊ विश्वविद्यालय	स्नातक	6,244	694	अनुपलब्ध	143[23] (21)
	स्नातकोत्तर	6,424	1,649	अनुपलब्ध	1,434 (87)
योग		**12,668**	**2,343**	अनुपलब्ध	**1,577 (67)**

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

तालिका 3.13 से यह देखा जा सकता है कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में औसतन 33 प्रतिशत और लखनऊ विश्वविद्यालय में 67 प्रतिशत अंक बैक पेपर के परिणामस्वरूप बढ़े थे। इस प्रकार, बैक पेपर परीक्षा छात्रों के लिए लाभदायक साबित हुई, हालांकि, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में इसका परिणाम उत्साहजनक नहीं था।

3.9 अनुसंधान के माध्यम से नए ज्ञान का सृजन करके समाज का बेहतरीकरण।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 7.1 में सिफारिश की गई है कि महाविद्यालयों में शोध क्षमताओं को सचेत रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तर 7.1.19 (ए) में यह भी कहा गया है कि कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के सहयोग से बहु–विषयक मिशन मोड अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए जो सभी स्तरों पर समाज को सीधे लाभान्वित करें और आर्थिक विकास में योगदान दें। अग्रेतर, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के प्रस्तर 3.1 में निहित है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को उचित नीतियों और प्रथाओं को विकसित करके, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर और अनुसंधान में शिक्षकों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करके अनुसंधान को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।

रिसर्च इनपुट्स, गतिविधियों और अनुसंधान परिणामों से संबंधित पहलुओं पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णन किया गया है।

3.9.1 अनुसंधान इनपुट

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार पर रिपोर्ट के प्रस्तर 7.1 और 7.1.19 (ए) में निहित है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियों के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता और इस हेतु उपक्रम/योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने वार्षिक बजट का एक निश्चित अनुपात अनुसंधान और नवाचार के लिए चिह्नित बजट के रूप में आवंटित करना चाहिए।

इस संदर्भ में, वर्ष 2014–20 की अवधि में सरकारी और गैर–सरकारी स्रोतों से अनुसंधान गतिविधियों के लिए महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राप्त अनुदान और उसके उपयोग की स्थिति नीचे **तालिका 3.14** में दी गई है:

[23] यह आँकड़ा सिर्फ दो साल (2018–19 और 2019–20) के लिये है।

तालिका 3.14: अनुसंधान गतिविधियों के लिए अनुदान की प्राप्ति और उपयोग

(₹ लाख में)

नाम	स्वीकृत अनुदान	प्राप्त अनुदान			उपयोग किये गये अनुदान			शुरू की गयी अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण की गयी अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या
		सरकारी स्रोत से	गैर सरकारी स्रोत से	योग	सरकारी स्रोत से (प्रतिशत)	गैर सरकारी स्रोत से (प्रतिशत)	कुल अनुदान (प्रतिशत)		
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	43.51	31.76	0	31.76	27.91 (88)	0	27.91 (88)	7	4
लखनऊ विश्वविद्यालय[24]	691.20	596.16	0	596.16	533.95 (90)	0	533.95 (90)	45	35

(स्रोतः सम्बंधित विश्वविद्यालय)

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में अनुसंधान गतिविधियाँ बहुत सीमित थीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत ₹ 43.51 लाख में से, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने सात परियोजनाओं पर शोध कार्य के लिए ₹ 31.76 लाख का अनुदान प्राप्त किया। इसमें से ₹ 27.91 लाख (88 प्रतिशत) का उपयोग वर्ष 2014–20 की अवधि में किया गया था। सात परियोजनाओं में से चार परियोजनाओं को 377 दिनों से 1,463 दिनों के विलम्ब से पूर्ण किया गया। शेष तीन परियोजनाएं चल रही थीं, जबकि, यह परियोजनाएं भी अपने पूर्ण किये जाने की अवधि से विलम्बित थीं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में, 45 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए ₹ 6.91 करोड़ के स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष नमूना जाँच किए गए नौ विभागों को ₹ 5.96 करोड़ जारी किए गए थे जिसमें से वर्ष 2014–20 की अवधि में ₹ 5.34 करोड़ (90 प्रतिशत) का व्यय किया गया था ***(परिशिष्ट 3.4)***। लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 35 में से 25 परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया गया था। 10 परियोजनाओं को 60 और 1160 दिनों के विलम्ब से पूर्ण किया गया था। अग्रेतर, छह परियोजनाएं परिपक्वता तिथि से पूर्व ही बंद कर दी गईं थीं ***(परिशिष्ट 3.5)***।

वर्ष 2014–20 की अवधि में नमूना–जाँच किए गए महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों को अनुसंधान परियोजनाओं हेतु अनुदान प्रदान नहीं किया गया था।

शासन ने बताया कि (जुलाई 2022) कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा एक अनुसंधान और विकास योजना लागू की गयी है। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ ने बताया कि कोविड–19 के कारण दो परियोजनाओं में विलम्ब हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी कुछ विलम्ब का कारण महामारी को बताया।

3.9.2 अनुसंधान के परिणाम

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अनुसार[25] गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के परिणाम अनुशासन, समाज, उद्योग, क्षेत्र और राष्ट्र के लिए हितकारी है। उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुसंधान परिणामों में शोध पत्र और प्रकाशन, प्रदान किए गए पेटेंट, प्रदत्त वाह्य परामर्श इत्यादि शामिल हैं। लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए इन परिणामों का आकलन किया गया, जिसके निष्कर्ष निम्नवत वर्णित हैं:

[24] नमूना जाँच किये गये विभागः 1. अंग्रेजी एवं आधुनिक पाश्चात्य भाषाये 2. अर्थशास्त्र 3. दर्शनशास्त्र 4. प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व 5. संस्कृत 6. वाणिज्य 7. व्यवहारिक अर्थशास्त्र 8. भौतिक विज्ञान 9. रसायन विज्ञान 10. वनस्पति विज्ञान

[25] प्रस्तर 3.4

3.9.2.1 पेटेंट, परामर्श और अनुसंधान करने वाले शोधकर्ता

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, संस्थान के प्रमाणन की अवधि में किसी संस्थान को प्रकाशित/प्रदान किये गए पेटेंट्स की संख्या, संकाय की परामर्श परियोजनाओं आदि पर विचार करता है। नमूना जाँच की गई संस्थाओं के प्रभावी अनुसंधान करने में निष्पादन का आकलन करने के लिए वर्ष 2014–20 की अवधि में संस्था को दिए गए पेटेंट्स की संख्या को लेखापरीक्षा में संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया गया ***(परिशिष्ट–1.2 का क्रमांक 15)***।

वर्ष 2014–20 की अवधि में नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालय में दिए गए पेटेंट्स की संख्या, परामर्श से प्राप्त राजस्व, और नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालय में शोध करने वाले शोधकर्ताओं की संख्या का विवरण नीचे **तालिका 3.15** में दिया गया है:

तालिका 3.15: प्रदान किए गए पेटेंट्स की संख्या/परामर्श से प्राप्त राजस्व

विश्वविद्यालय का नाम	अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या		सम्मानित किये गये पेटेन्टों की संख्या	अनुसंधान परियोजनाओं के लिये नामांकित जे0आर0एफ0, एस0आर0एफ0, पोस्ट डाक्टोरल फेलों की संख्या	विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी परामर्शों की संख्या	विश्वविद्यालय में परामर्श से प्राप्त राजस्व की राशि
	आरम्भ परियोजना की संख्या	पूर्ण (प्रतिशत)				
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	7	4 (51)	0	6	0	0
लखनऊ विश्वविद्यालय[26]	45	35 (78)	0	33[27]	0	0

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

उपरोक्त **तालिका 3.15** से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–2020 की अवधि में पेटेंट, पुरस्कार और परामर्श से प्राप्त राजस्व के क्षेत्र में, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रदर्शन नगण्य था। अग्रेतर, विश्वविद्यालयों ने संस्थान और व्यक्तियों के बीच परामर्श प्रदान करने और राजस्व सहभागिता के लिए नीति नहीं बनायीं थी।

3.9.2.2 उच्च शिक्षण संस्थानों में किये जा रहे अनुसंधान में शिक्षकों का योगदान

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का रणनीतिक ढांचा शिक्षण और अनुसंधान के बीच तालमेल बनाकर दोनों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद किसी संस्थान के प्रत्यायन की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रति शिक्षक शोध पत्रों की संख्या और प्रति शिक्षक प्रकाशित पुस्तकों और अध्यायों की संख्या पर विचार करता है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने में अनुसंधान में शिक्षकों के योगदान के महत्व को रेखांकित करता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण निम्नवत है:

- ***प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या***

अनुसंधान करने में संस्थान के संकाय के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, वर्ष 2014–20 की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रति शिक्षक शोध

[26] केवल नमूना जाँच किये विभागों के आंकड़े

[27] नमूना जाँच किये गये नौ विभागों के आंकड़े (व्यवहारिक अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, दर्शनशास्त्र, भौतिक विज्ञान एवं संस्कृत) मात्र।

पत्रों की संख्या को संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया गया था ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रमांक 16)***। यह संकेतक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा में प्रकाश में आया कि वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में, एक शोध पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था लेकिन कोई भी पुस्तक और अध्याय संपादित संस्करणों/पुस्तकों में प्रकाशित नहीं हुए थे और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही में कोई शोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

वर्ष 2014–20 की अवधि में लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किए गए 10 विभागों में से नौ[28] में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में 1,311 प्रकाशन और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संपादित संस्करणों/पत्रों में 254 पुस्तकें/अध्याय प्रकाशित किए गए थे। वर्ष 2014–20 की अवधि में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में नमूना जाँच किए गए छह महाविद्यालयों में से एक (जगतपुर पीजी महाविद्यालय वाराणसी) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में 34 शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गए एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय (नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ) में कोई शोध पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था। जबकि, एक अन्य नमूना जाँच किये गए अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय (करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में 03 शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे। इसके अलावा, महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2019–20 में 12 पुस्तकें भी प्रकाशित की गईं थीं । इन शोधों पर होने वाला व्यय शिक्षकों द्वारा स्वयं वहन किया गया था। इसी प्रकार नमूना जाँच किये गये महाराजा बिजली पासी राजकीय महाविद्यालय आशियाना, लखनऊ ने वर्ष 2019–20 में चार शोध पत्र एवं सात पुस्तकें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित कीं। महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना लखनऊ में वर्ष 2014–19 की अवधि में 22 शिक्षकों द्वारा 39 पत्र तथा नौ शिक्षकों द्वारा पुस्तकों में 15 अध्याय का प्रकाशन किया गया।

- ***अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप से सम्मानित शिक्षकों की संख्या***

नमूना जाँच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा शिक्षकों को अनुसंधान करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन और उनके अनुभव का आकलन करने के लिए वर्ष 2014–20 की अवधि में उन्नत अध्ययन/अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित शिक्षकों की संख्या को संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया गया था ***(परिशिष्ट–1.2 का क्रमांक 17)***। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना–जाँच किए गए महाविद्यालयों में उन्नत अध्ययन/अनुसंधान के लिए किसी भी पूर्णकालिक शिक्षक को अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित नहीं किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय में नमूना जाँच किए गए 10 विभागों में से दो विभागों (व्यावहारिक अर्थशास्त्र और अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग) में केवल तीन संकाय (दो प्रतिशत) को उन्नत अध्ययन/अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया था।

[28] 1. अंग्रेजी एवं आधुनिक पाश्चात्य भाषाये 2. अर्थशास्त्र 3. दर्शनशास्त्र 4. प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व 5. संस्कृत 6. भौतिक विज्ञान 7. रसायन विज्ञान 8. वनस्पति विज्ञान 9. व्यवहारिक अर्थशास्त्र

चूँकि, नमूना–जाँच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों के बहुत ही कम शिक्षकों को उन्नत अध्ययन/अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय फैलोशिप से सम्मानित किया गया था, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये उच्च शिक्षण संस्थान या तो अपने संकाय को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने में पर्याप्त प्रयास करने में विफल रहे या संकाय स्वतःस्फूर्त प्रेरित नहीं थे।

3.9.3 सहयोगात्मक एवं विस्तार गतिविधियाँ

3.9.3.1 सहयोगात्मक गतिविधियाँः उद्योग–शिक्षा संबंध

शिक्षा एवं उद्योग के मध्य एक सहजीवी सम्बन्ध होता है। शिक्षा से स्नातक तैयार होते हैं जिन्हें उद्योग जगत द्वारा समाहित कर लिया जाता है। उद्योग जगत द्वारा विश्वविद्यालयों के अनुसंधान कार्यों का आधार लेकर उन्हें उत्पाद एवं सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है। दूसरी ओर, उद्योग जगत शिक्षा की तरफ अपनी समस्याओं के समाधान के लिये उन्मुख होते हैं। उद्योग जगत की आवश्यकता हेतु, ऐसे स्नातकों को तैयार करने के लिये विश्वविद्यालयों को अपने/कार्यक्रमों को तैयार करने की आवश्यकता होगी जिनका कौशल सेट उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। उद्योग–शिक्षा जुड़ाव शैक्षणिक संस्थानों एवं उद्योगों के मध्य पारस्परिकता एवं ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के विचार को आगे बढ़ाता है। उद्योगों को परामर्श प्रदान करने में विश्वविद्यालय के संकाय में उपलब्ध विशेषज्ञों की भागीदारी तथा उनकी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को सहायता प्रदान करना तथा दूसरी तरफ उद्योगों द्वारा छात्रों के प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में विश्वविद्यालयों की मदद करना और उनके कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता के प्रकरण मुख्य[29] हैं।

अग्रेतर, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के प्रस्तर संख्या 3.7 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान सहयोग द्वारा कार्य–क्षेत्र के साथ नजदीकी संपर्क रख सकते हैं। यह उच्च शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियों को और ज्यादा यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने में सहायक सिद्ध होता है तथा विद्यार्थियों के अध्ययन अनुभवों के क्षेत्र को विस्तृत भी करता है।

नमूना जाँच में चयनित विश्वविद्यालयों की सहयोगात्मक गतिविधियों में उनकी प्रदर्शन का निर्धारण करने के अनुक्रम में मुख्य संकेतक ''उद्योग–शिक्षा संबंध का विस्तार'' ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रम सं0 8)*** का मूल्यांकन वर्ष 2014–19 की अवधि में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, अन्य विश्वविद्यालयों, उद्योगों के साथ किये गये समझौता ज्ञापनों के आधार पर किया गया।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं इनके नमूना जाँच में चयनित 10 महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2014–20 की अवधि में किसी भी उद्योग के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं किया गया था। इस प्रकार, नौकरी प्रदान करने वालों के साथ संपर्क का पूर्णतया अभाव था जो कि प्लेसमेंट को प्रभावित कर रहा था जैसा कि आगे प्रस्तरों में बताया गया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने अवगत कराया कि (जुलाई 2022) विभिन्न उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों, एवं अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा 62 समझौता ज्ञापन किये गये हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय का उत्तर इसके द्वारा पूर्व में दिये गये (दिसम्बर 2020) उत्तर का विरोधाभासी है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उद्योगों के सहयोग से किसी भी एक्सटेंशन तथा आउटरीच कार्यक्रमों के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया था। अग्रेतर, निष्पादित

[29] विश्वविद्यालय–उद्योग के अंतर्सम्बद्ध केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दिशानिर्देश।

किये गये समझौता ज्ञापनों का विवरण लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे लेखापरीक्षा में इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कब और किस विभाग द्वारा 62 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये थे।

3.9.3.2 उद्योग, समुदाय आदि के सहयोग से विस्तार गतिविधियाँ (एक्सटेंशन एक्टिविटीज) तथा छात्रों की सहभागिता

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के प्रस्तर संख्या 3.6 के अनुसार अध्ययन गतिविधियों में सामुदायिक विषयों, लैंगिक असमानता, सामाजिक असमानता इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने और समाज के प्रति मूल्यों और प्रतिबद्धता को विकसित करने के लिये एक दृश्य तत्व (विजिबल एलीमेंट) है। संस्था की गतिविधियों में रूचि रखने वाले समूहों या व्यक्तियों के साथ संबंध और अंतःक्रिया एवं संगठन के कार्यों, निर्णयों, नीतियों, प्रथाओं या लक्ष्यों को प्रभावित करने की क्षमता से दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार की गतिविधियों में निहित प्रक्रियाएं और रणनीतियाँ विद्यार्थियों को सामाजिक विषयों एवं संदर्भों के प्रति प्रासंगिक रूप से संवेदनशील बनाती हैं।

नमूना जाँच में चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा उद्योग, समुदाय तथा गैर–सरकारी संस्थाओं (एनसीसी/एनएसएस/रेड क्रास आदि) के सहयोग से एक्सटेंशन तथा आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजनों को प्रोत्साहित किये जाने में किये गये प्रयासों का आकलन करने के क्रम में मुख्य संकेतक ''सहयोगात्मक वातावरण में किस सीमा तक उद्योग से संपर्क किया गया या प्रायोजक एवं धनराशि उपलब्ध कराया गया है'' ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रम सं0 9)*** का वर्ष 2014–20 की अवधि में इन विस्तार गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता का औसत प्रतिशत के आधार पर मूल्याँकन किया जाना था ***(परिशिष्ट 1.2 का क्रम सं0 18)***। यह संकेतक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया के लिये भी एक मुख्य संकेतक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच में चयनित दोनों विश्वविद्यालयों एवं महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना जाँच में चयनित महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2014–20 की अवधि में उद्योगों/समुदायों आदि के सहयोग से कोई विस्तार गतिविधियां नहीं की गयी थी।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच में चयनित चार कालेजों में से एक (करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ) द्वारा वर्ष 2018 एवं 2019 में एक्सटेंशन तथा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रकार, नमूना जाँच में चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उद्योग, समुदाय एवं गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से एक्सटेंशन तथा आउटरीच कार्यक्रम को प्रोत्साहित नहीं किया गया।

3.9.3.3 अनुसंधान हेतु अनुसंधान नीति एवं अनुश्रवण तंत्र की कमी

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली के प्रस्तर संख्या 3.1 के अनुसार अनुसंधान को प्रोत्साहन देना उच्च शिक्षण संस्थानों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, विशेषकर विश्वविद्यालयों के लिये जिसके बिना कैंपस में अनुसंधान संस्कृति नहीं पनप सकती है। उच्च शिक्षण संस्थानों को इसके लिये उपयुक्त नीतियों एवं प्रथाओं को विकसित करने, पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराने, अनुसंधान में शिक्षकों एवं स्कालर्स की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ ही साथ अनुसंधान के माध्यम से शिक्षकों की किसी भी उपलब्धि को चिन्हित करते हुये, सक्रिय रूप से भागीदारी करनी होगी। इसमें सरकार एवं/या अन्य एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये सहयोग एवं संसाधनों के उपयोग में संस्थानों में उत्तरदायित्व एवं प्रशासनिक सहयोग (प्रक्रियात्मक लचीलापन) भी समाहित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के पास उद्योगों/अध्ययनों के विभिन्न क्षेत्रों तथा उनके शैक्षणिक विभागों में अनुसंधान हेतु प्रयास एवं विकास के लिये मार्च 2022 तक स्वयं की कोई नीति नहीं थी। वर्षवार प्रस्तावित अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या, उनकी स्वीकृति, स्वीकृत धनराशि, प्रायोजित करने वाली एजेन्सी, व्यय का विवरण इत्यादि से संबंधित केन्द्रीकृत आंकड़ों का रखरखाव लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया गया था। प्राप्त धनराशि, किया गया व्यय तथा अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति की सूचना केवल संबंधित मुख्य अन्वेषकों (प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स) के पास उपलब्ध थी।

शासन ने बताया कि (जुलाई 2022) उसके पास वर्ष 2021 में अनुसंधान नीति थी।

3.10 रोजगार एवं उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का प्रगमन

रोजगार क्षमता में वृद्धि और उच्च अध्ययन में प्रगमन, जिसे छात्र उच्च शिक्षा से उम्मीद करते हैं, को सबसे महत्वपूर्ण परिणामों के रूप में पहचाना गया है। इन परिणामों की उपलब्धि सीधे तौर पर कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता के अलावा, विशेष रूप से करियर काउंसलिंग सेल, प्लेसमेंट सेल, पुरातन छात्र संघों की उपलब्धता और स्नातक छात्रों से सम्बन्धित सूचनाओं का उचित रखरखाव शामिल है। स्नातक करने वाले छात्रों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए इस तरह के सुविधाजनक तंत्र का अस्तित्व और प्रभावी कामकाज आवश्यक है। जॉब प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट में सहायता करने वाले कारक और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दर के बारे में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है।

3.10.1 नियुक्ति प्रकोष्ठ, रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ और पुरातन छात्र संघ

3.10.1.1 नियुक्ति प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार[30] सरकारी महाविद्यालयों को अपने परिसर के माध्यम से छात्रों के प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नियुक्ति प्रकोष्ठ का गठन करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वर्ष 2016–17 से विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो के माध्यम से कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन कर रहा था और इसने वर्ष 2018–19 में एक **नियुक्ति प्रकोष्ठ** खोला। लखनऊ विश्वविद्यालय में, मार्च 2017 में सेंट्रल काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल (सीपीसी) का गठन किया गया था। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय ने वर्ष 2016–20 की अवधि में आयोजित किए गए रोजगार मेले और प्लेसमेंट के लिए आँकड़े उपलब्ध कराये, जिसे **तालिका 3.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले

विवरण	आयोजित रोजगार मेलों की संख्या				
	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ					
आयोजित रोजगार मेलों की संख्या	6	5	17	14	42
चयनित छात्र	200	78	301	202	781
मध्यम वेतन (औसत वार्षिक वेतन लाख में)	1.8	2.25	2.4	2.25	

[30] ग्यारहवीं योजना के दौरान केंद्रीय, डीम्ड और राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली का प्रस्तर 5.2, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश ।

लखनऊ विश्वविद्यालय					
आयोजित रोजगार मेलों की संख्या	1	6	3	3	13
चयनित छात्र	672	1,020	720	280	2,692
मध्यम वेतन (औसत वार्षिक वेतन लाख में)	3.50	3.50	3.50	4.70	

(स्रोत : महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 2016–20 की अवधि में आयोजित इन रोजगार मेलों में क्रमशः 781 और 2,692 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ था।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छह नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में से, जगतपुर पीजी कॉलेज और सकलडीहा पीजी कॉलेज में वर्ष 2017–18 में **नियुक्ति प्रकोष्ठ** बनाए गए थे और जगतपुर पीजी कॉलेज ने वर्ष 2017–18 में आयोजित रोजगार मेले में नौ छात्रों का **प्लेसमेंट** हुआ था।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये दो **शासकीय** महाविद्यालयों[31] में भी प्लेसमेंट सेल का गठन नहीं किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किए गए दो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में **नियुक्ति प्रकोष्ठ** का गठन किया गया था। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ द्वारा 2017–20 की अवधि में तीन रोजगार मेलों का आयोजन किया गया और 46 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ। नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित दो रोजगार मेलों में वर्ष 2014–16 की अवधि में तीन छात्रों का प्लेसमेंट हुआ।

इस प्रकार, नमूना–जाँच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में **नियुक्ति प्रकोष्ठ** खोलना एक नई **घटना** है और **नियुक्ति प्रकोष्ठ** के माध्यम से **प्राप्त रोजगार की संख्या** इस बात की पुष्टि करते हैं कि विशेष रूप से शासकीय महाविद्यालयों में कैंपस के माध्यम से प्लेसमेंट **की संस्कृति नहीं थी**।

3.10.1.2 रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ

रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ प्रतियोगी परीक्षा, रोजगार परक प्रशिक्षण आदि को दृढ़ता से प्राप्त करने के लिए **सॉफ्ट स्किल्स** और संचार क्षमता के विकास में छात्रों की सहायता करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिशानिर्देशों में[32] विविध सामाजिक–आर्थिक मुद्दों, विश्वविद्यालयों में आने वाले **विषम आबादी के छात्रों की** भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ–साथ उपयुक्त संस्थागत समर्थन जानकारी की उपलब्धता के माध्यम से पहुँच और प्लेसमेंट के अवसरों की समानता को संबोधित करने में अच्छी तरह से काम करने वाले रोजगार और परामर्श प्रकोष्ठ के महत्व को रेखांकित किया है । लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में, कोई **रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ** नहीं बनाया गया था। जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया है, करियर परामर्श का कार्य विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो द्वारा किया जा रहा था। तथापि, लेखापरीक्षा को ऐसी **रोजगार** परामर्श के लिए अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अतिरिक्त, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छः नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में भी **रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ** स्थापित नहीं किया गया था।

लखनऊ विश्वविद्यालय में, परामर्श और **नियुक्ति प्रकोष्ठ** का गठन मार्च, 2017 में अपने छात्रों को सफल और बेहतर प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने और उनकी क्षमता और क्षमताओं का निर्माण करने

[31] महाराजा बिजली पासी राजकीय पीजी कॉलेज,आशियाना, लखनऊ और महामाया राजकीय डिग्री कॉलेज, लखनऊ।
[32] ग्यारहवीं योजना के दौरान केंद्रीय, डीम्ड और राज्य विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश।

के लिए किया गया था। विश्वविद्यालय ने कहा कि वर्ष 2017–20 की अवधि में 17,081 छात्रों को रोजगार परामर्श प्रदान की गई। तथापि, लेखापरीक्षा के अनुरोध के बावजूद परामर्श और **नियुक्ति प्रकोष्ठ** के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए जिसके कारण इसके उद्देश्यों की उपलब्धि का सत्यापन नहीं किया जा सका।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये **शासकीय** महाविद्यालयों में **रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ** स्थापित नहीं किया गया था। जैसा कि महाविद्यालयों ने बताया कि, शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में ही काउंसलिंग की जाती थी। तथापि, दो नमूना जाँच किये गये अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में इसका गठन किया गया था और परामर्श दिया गया था। इस प्रकार, रोजगार परामर्श को ठीक ढंग से **संस्थागत** नहीं किया गया था।

3.10.1.3 पुरातन छात्र संघ

एक सक्रिय पुरातन छात्र संघ में, शैक्षणिक मामलों, छात्र सहायता के साथ–साथ वित्तीय और गैर–वित्तीय साधनों[33] के माध्यम से संसाधनों को जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में पुरातन छात्र संघ का पंजीकरण (दिसंबर 2010) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पुरातन छात्र समिति के नाम से किया गया था। जैसा कि बताया गया, संघ ने वर्ष 2014–20 की अवधि में प्रत्येक वर्ष वार्षिक केंद्रीय पूर्व छात्र बैठक का आयोजन किया। हालाँकि, पुरातन छात्र समिति द्वारा विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

लखनऊ विश्वविद्यालय में पुरातन छात्र संघ का शासी निकाय जनवरी 2018 में ही गठित किया गया था। शासी निकाय की स्थापना के बाद से नौ बैठकें हुई थीं। वर्ष 2017–20 की अवधि में ₹ 7.55 लाख का सदस्यता शुल्क प्राप्त हुआ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये शासकीय महाविद्यालयों (महाराजा बिजली पासी राजकीय पीजी कॉलेज, लखनऊ) में पुरातन छात्र संघ की स्थापना वर्ष 2017–18 में की गई थी और इसकी बैठकें वर्ष 2017–18 और वर्ष 2018–19 की अवधि में हुई थीं लेकिन वर्ष 2019–20 में कोई बैठक नहीं हुई थी। महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ में पुरातन छात्र संघ का गठन नहीं हुआ था।

करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ में पुरातन छात्र संघ पंजीकृत नहीं था। कालेज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इसकी दो बैठकें वर्ष 2019–20 की अवधि में हुई थीं। नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ में पुरातन छात्र संघ का गठन किया गया था लेकिन वर्ष 2014–20 की अवधि में कोई बैठक नहीं हुई थी।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के छह नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में से दो (जगतपुर पीजी कॉलेज, वाराणसी और श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज, वाराणसी) में पुरातन छात्र संघ स्थापित किए गए थे, जिनकी वर्ष 2014–20 की अवधि में क्रमशः छः और नौ बैठकें हुई थीं।

इस प्रकार, छात्रों के **नेटवर्क** को रोजगार के बाजार में विस्तारित करने में पुरातन छात्र संघों की बहुत सीमित भूमिका थी। लेखापरीक्षा में **संघ** के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाली कोई गतिविधि नहीं देखी गई।

[33] राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा जारी नियमावली

3.10.2 उच्च अध्ययन में प्रगति

रोजगार के साथ–साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट और पोस्ट–डॉक्टरेट अध्ययन इत्यादि के लिए उच्च अध्ययन में प्रगति करना एक ऐसा करियर विकल्प है जिसे चुनने की इच्छा छात्र करते हैं। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने अपने छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए भेजने में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, इसका आकलन करने के लिए वर्ष 2019–20 की अवधि में उच्च शिक्षा में प्रगति करने वाले छात्रों के प्रतिशत में वृद्धि का उपयोग मुख्य परिणाम संकेतक ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रम संख्या 1)*** के रूप में किया गया है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय और उनके नमूना जाँच किए गए महाविद्यालय, करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ को छोड़कर, विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के बाहर उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले या उसी विश्वविद्यालय (2014–20) में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से सम्बन्धित सूचनाओं का रखरखाव नहीं किया गया था। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ ने वर्ष 2014–18 की अवधि में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 20 छात्रों का रिकॉर्ड रखा। सूचनाओं के अभाव में, लेखापरीक्षा इस संकेतक के संबंध में विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन पर टिप्पणी नहीं कर सका।

शासन ने बताया (जुलाई 2022) कि रोजगार बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स रेंज, करियर काउंसलिंग सेल, प्लेसमेंट सेल, नवप्रवर्तन प्रकोष्ठ, इत्यादि आयोजित करके रोजगारोन्मुखी शिक्षा को मजबूत किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.10.3 प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करना

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं छात्र प्रगति के लिए अपार अवसर प्रदान करती हैं। स्नातक छात्रों को रोजगार के लिए अर्हता प्राप्त करने या उच्च अध्ययन में प्रगति के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में योग्यता उच्च शिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मानदंड है।

ऐसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए अपने छात्रों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने के लिए एक संस्थान की क्षमता का आकलन करने के लिए, राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में वर्ष 2014–20 की अवधि में उत्तीर्ण छात्रों के औसत प्रतिशत का उपयोग लेखापरीक्षा में मुख्य परिणाम संकेतक के रूप में किया गया है ***(परिशिष्ट 1.1 का क्रमांक 2)***।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट वर्ष 2014–20 की अवधि में कुल स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और अन्य छात्रों में से प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शाती है। यह आँकड़ा **तालिका 3.17** में दिया गया है।

तालिका 3.17 सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या

वर्ष	सार्वजनिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या (यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, नेट, कैट, गेट आदि)					
	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ			लखनऊ विश्वविद्यालय		
	नामाँकित छात्र	सफल छात्र	प्रतिशत	कुल छात्र	सफल छात्र	प्रतिशत
2014-15	8,577	17	0.20	19,272	65	0.34
2015-16	8,599	0	0.00	20,098	77	0.38
2016-17	8,170	0	0.00	20,908	97	0.46
2017-18	8,178	106	1.30	20,721	74	0.36
2018-19	8,881	80	0.90	16,522	125	0.76
2019-20	8,592	सूचना उपलब्ध नहीं	--	15,562[34]	547	3.51

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय)

उपरोक्त आंकड़े महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाता है जो वर्ष 2014–15 में 0.20 प्रतिशत, वर्ष 2017–18 में 1.30 प्रतिशत और वर्ष 2018–19 में घटकर 0.90 प्रतिशत हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के आंकड़ों में ज्यादातर वृद्धि का रुझान वर्ष 2014–15 में 0.34 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 3.51 प्रतिशत पाया गया।

लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना जाँच किये गये महाविद्यालयों में नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ तथा महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ ने राज्य/राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के आंकड़ों का रख–रखाव नहीं किया गया था। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ ने प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण मात्र तीन छात्रों के आंकड़ों का रख–रखाव किया था। महाराजा बिजली पासी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, लखनऊ ने भी नेट और जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के आँकड़ों का रख–रखाव किया था।

इस प्रकार, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और उसके संघटक महाविद्यालयों ने गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के मामले में, प्रदर्शन में सुधार हो रहा था, लेकिन यह संतोषजनक नहीं था क्योंकि वर्ष 2014–19 की अवधि में प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रतिशत से भी कम छात्र उत्तीर्ण हुए और केवल वर्ष 2019–20 में 3.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.10.4 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन

राष्ट्रीय मूल्याँकन और प्रत्यायन परिषद और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने अपने मूल्याँकन मानदंड में यह चिन्हित किया है कि एक उच्च शिक्षण संस्थान की प्रभावशीलता, छात्र केंद्रित कई पहलुओं के माध्यम से परिलक्षित होती है, जिसमें परीक्षाओं में छात्र का प्रदर्शन, छात्रों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत, उच्च डिवीजनों के साथ स्नातक करने वाले छात्रों का प्रतिशत आदि शामिल हैं।

इस संदर्भ में नमूना जाँच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्याँकन वर्ष 2019–20 की अवधि में छात्रों के औसत उत्तीर्ण प्रतिशत को संकेतक के रूप में परीक्षा परिणाम के आधार पर ***(परिशिष्ट 1.2 के क्रमांक 2)*** किया गया है। यह संकेतक उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्याँकन और प्रमाणन प्रक्रिया की अवधि में राष्ट्रीय मूल्याँकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक से लिया गया है।

[34] यह आँकड़ा विश्वविद्यालय के निदेशक, आई क्यू ए सी सेल द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों से सम्बन्धित है।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों के डिवीजन–वार परिणामों का भी विश्लेषण किया गया। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट के साथ–साथ उच्च अध्ययन के लिए नामाँकन आम तौर पर प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है जिसमें केवल उत्तीर्ण होना ही सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं है।

नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में वर्ष 2019–20 की अवधि में विज्ञान, कला और वाणिज्य वर्ग के स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों के औसत उत्तीर्ण प्रतिशत और श्रेणीवार परिणाम से संबंधित आँकड़े ***परिशिष्ट 3.6*** में विस्तृत और **तालिका 3.18** में संक्षेप में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.18 वर्ष 2019–20 की अवधि में छात्रों का प्रदर्शन

विवरण	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ के नमूना परीक्षित महाविद्यालय	लखनऊ विश्वविद्यालय	लखनऊ विश्वविद्यालय के नमूना परीक्षित महाविद्यालय
	छात्रों की संख्या (प्रतिशत में)	छात्रों की संख्या (प्रतिशत में)	छात्रों की संख्या (प्रतिशत में)	छात्रों की संख्या (प्रतिशत में)
सम्मिलित छात्रों की संख्या	3,538	11,007	4,314	3,477
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	3,176 (90)	10,750 (98)	3,140 (73)	3,121 (90)
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	1,364 (43)	2,272 (21)	1,525 (49)	319 (9)
द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	1,676 (53)	6,535 (61)	918 (29)	948 (40)[35]
तृतीय श्रेणी/बगैर श्रेणी के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	136 (4)	1,943 (18)	697 (22)	936 (39)

(स्रोतः महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ एवं लखनऊ विश्वविद्यालय)

तालिका 3.18 से यह देखा जा सकता है कि महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में लगभग 90 प्रतिशत छात्र और लखनऊ विश्वविद्यालय में लगभग 73 प्रतिशत छात्र वर्ष 2019–20 की अवधि में परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय में क्रमशः तैंतालिस प्रतिशत और उनचास प्रतिशत छात्र प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण हुए। महाविद्यालयों में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कम संख्या शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में महाविद्यालयों के कमजोर प्रदर्शन का द्योतक है। अग्रेतर, बिना श्रेणी के उत्तीर्ण होने वाले छात्र यह प्रदर्शित करते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना आवश्यक है।

[35] महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ के आंकड़े को छोड़कर, क्योकि उनके पास पूर्ण आँकड़े नहीं थे।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को नियमित रूप से संशोधित/अद्यतन नहीं किया गया था, जिसके कारण रोजगारपरकता पर ध्यान केन्द्रित किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की ओर प्रयास अपर्याप्त था इसके अतिरिक्त, छात्र–शिक्षक अनुपात बहुत अधिक था। नमूना जाँच किए गए विश्वविद्यालयों में परिणाम विलम्ब से घोषित किए गए थे। अनुसंधान परियोजनाओं में विलम्ब किया गया और उनके परिणामों के बिना उन्हें बीच में ही बंद कर दिया गया। कोई पेटेंट नहीं दिया गया और न ही कोई परामर्श दिया गया। कैंपस प्लेसमेंट सेल के माध्यम से प्लेसमेंट उत्साहजनक नहीं था, विशेषकर शासकीय महाविद्यालयों में।

अनुशंसा 4: पाठ्यक्रमों का समय से संशोधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा रोजगारपरकता पर केन्द्रित पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 5: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों को शासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात को बनाये रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 6: व्यक्तिगत एवं संस्थागत उत्कृष्टता हेतु शिक्षकों के कार्य में सुधार एवं सतत विकास हेतु, राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित रूप से प्रासंगिक व्यवसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शिक्षक इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें।

अनुशंसा 7: परीक्षा प्रणाली तथा परिणाम घोषणा में विलम्ब का गहन अनुश्रवण किया जाय।

अनुशंसा 8: परियोजनाओं के गहन अनुश्रवण से विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित की जाय।

अनुशंसा 9: राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्लेसमेंट प्रकोष्ठ तथा आजीविका परामर्शी प्रकोष्ठ समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में गठित हों।

अनुशंसा 10: उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा उच्च अध्ययन तथा छात्रों के नौकरी प्राप्त करने से सम्बन्धित आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा अनुरक्षण की मजबूत प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।